



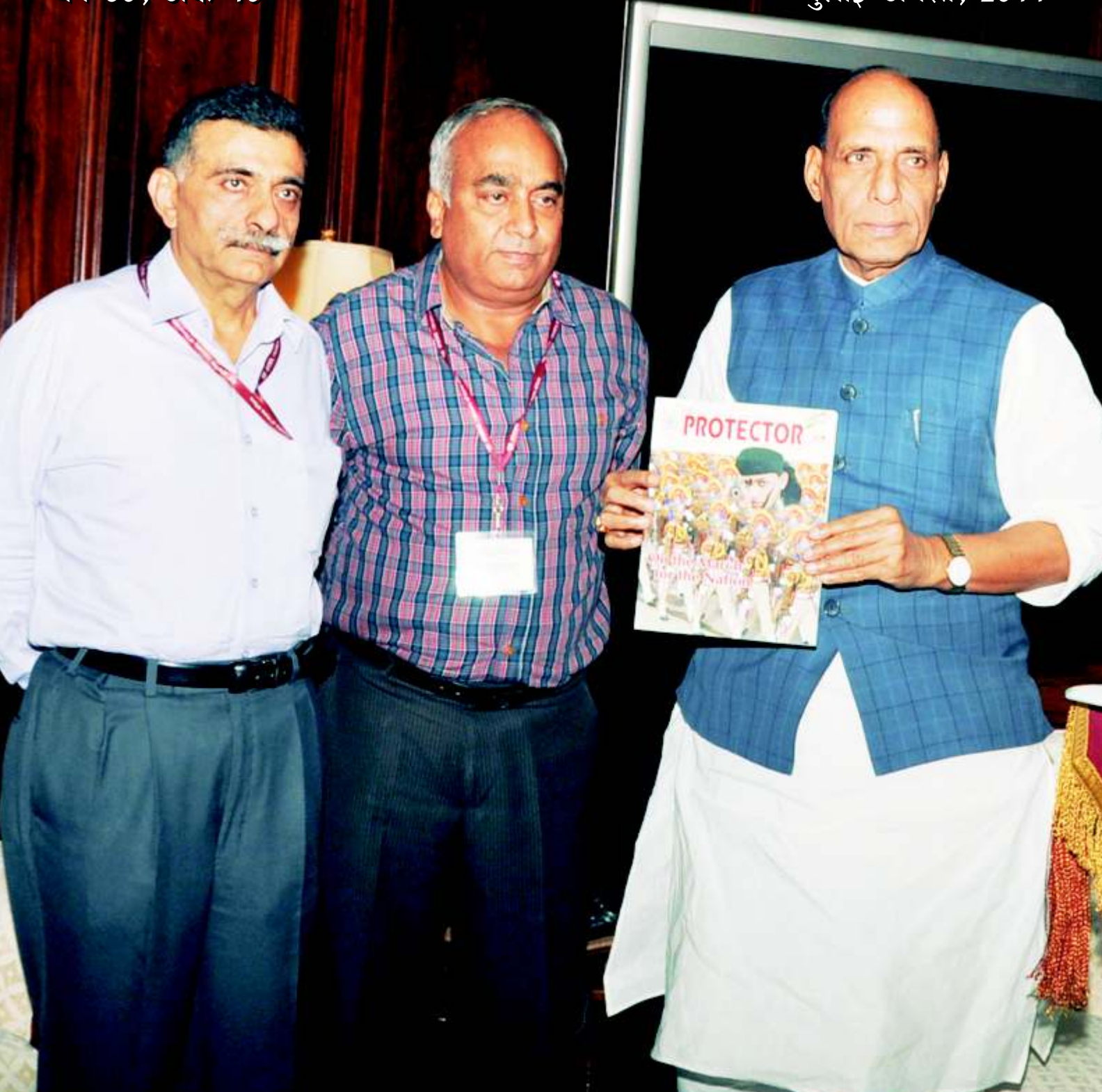
सीआरपीएफ समाचार



राजभाषा विशेषांक

वर्ष 60, अंक-10

जुलाई-अगस्त, 2014





स्वतंत्रता दिवस-2014 के शौर्य पदक विजेताओं के लिए आयोजित समारोह में शहीद सिपाही सनी स्लाथिया की पत्नी श्रीमती नीतू स्लाथिया को स्मृतिचिन्ह भेंट करते श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय



के.रि.पु.बल हॉफ मैराथन के शुभारंभ के लिए आयोजित समारोह में अन्तर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मेरी कॉम व प्रख्यात क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवाग को स्मृतिचिन्ह भेंट करते श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय



मुख्य संरक्षक: श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक

संपादकीय सलाहकार मण्डल

अध्यक्ष: आर.के. पचनन्दा, अपर महानिदेशक (परिचालन एवं निर्माण)

सदस्य: पंकज कुमार सिंह, महानिरीक्षक (संभरण), डॉ. बी.एन. रमेश, निदेशक, सीआरपीएफ अकादमी, जुल्फिकार हसन, महानिरीक्षक (परिचालन), संजय अग्रवाल, महानिरीक्षक (कार्मिक), अनुपम कुलश्रेष्ठ, उप महानिरीक्षक, (प्रशासन), ऐनी एब्राहम, उप महानिरीक्षक, (आसूचना), विग्रेडियर अरूण बाली, उप महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण)

सीआरपीएफ समाचार एक द्विमासिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित किये जाने वाले विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं। विभाग की नीति से इसका कोई संबंध नहीं है।

—मुख्य संपादक

मुख्य संपादक: भुवन चन्द्र खंडूरी

संपादकीय सहायता व रूपरेखा: तमाल सान्याल
चित्र : जनसंपर्क फोटो सेल, महानिदेशालय और सीआरपीएफ यूनिट्स

संपादकीय कार्यालय: महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, बल ब्लॉक-1, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 24360649

महानिदेशक सीआरपीएफ की ओर से मुद्रित और प्रकाशित: इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी फेस-1, नई दिल्ली-110064

कवर फोटो कैप्शन :

“सीआरपीएफ प्रोटेक्टर पत्रिका” का माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय एवं श्री आर.के. पचनन्दा, अपर महानिदेशक (परिचालन व निर्माण) की उपस्थिति में विमोचन किया।

इस अंक में

महानिदेशक का राजभाषा संदेश	—	2
बल ने जीते सर्वाधिक वीरता पदक	—	3
बल के शूरवीरों का सम्मान समारोह	—	10
सहायक निदेशक (राजभाषा) की कलम से	—	11
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में हिंदी प्रशिक्षण	—	13
संसदीय राजभाषा समिति	—	14
केरिपुबल में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन	—	16
जन जन की भाषा हिंदी	—	18
एकता में राजभाषा का महत्त्व	—	19
हिन्दी भारतीय संस्कृति की आत्मा है	—	21
कार्यालयी अनुवाद का सरलीकरण	—	23
सरकारी कामकाज में हिंदी	—	26
हिंदी भाषा और कंप्यूटर	—	27
देवनागरी हिंदी में विराम चिह्नों का प्रयोग	—	28
राजभाषा : महत्वपूर्ण जानकारी	—	29
राष्ट्रभाषा-राष्ट्र की पहचान	—	30
हिन्दी पत्रों में प्रायः प्रयोग की जाने वाली अशुद्धियों का निवारण	—	32
हिन्दी राष्ट्र का गौरव	—	33
कार्यालयाध्यक्ष एवं राजभाषा कार्यान्वयन मिश्राइन	—	37
सीख	—	38
संसार की रीत	—	38
विभिन्न कार्यालयों के राजभाषा समाचार	—	39
75 वां स्थापना दिवस समारोह :		
कुछ झलकियाँ	—	40
महानिदेशालय समाचार	—	41
विदाई समारोह	—	46
महानिदेशक महोदय का ग्रुप केन्द्र रांची का दौरा	—	47

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल



महानिदेशक का राजभाषा संदेश

विविधता में एकता की विशिष्टता वाले इस विशाल राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं के साथ-साथ हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि यह सारे देश में संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए प्रति वर्ष 14 सितम्बर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हिंदी आम बोलचाल की भाषा बन गई है और रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, विज्ञापनों, चलचित्रों एवं व्यावसायिक जगत में अत्यन्त लोकप्रिय हो चुकी है।

इस परिप्रेक्ष्य में तथा राजभाषा के रूप में हिंदी के उपयोग के लिए बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करते हुए, हमें सरकारी कामकाज करने में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना जारी रखना चाहिए। हमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करके आम बोल-चाल के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि सरकारी कामकाज में आसान हिंदी का प्रयोग किए जाने से हिंदी भाषा की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। यह हर्ष का विषय है कि इस दिशा में हमारे बल में लगातार प्रगति हो रही है, परन्तु हमें यह देखना है कि हिंदी के प्रयोग को और आगे कैसे बढ़ाया जाए।

विगत में, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा हमारे कुछ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का जायजा लेने के लिए निरीक्षण किया गया था। समिति ने उन सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति को सराहनीय पाया है। अतः भविष्य में भी हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों एवं अनुदेशों का हम पूर्णतः पालन करें।

भारत सरकार ने भी हिंदी की सहजता, सरलता और स्वीकार्यता को देखते हुए इसे राजभाषा घोषित करने के साथ-साथ सरकारी कामकाज में हिंदी के व्यापक प्रचार एवं प्रसार तथा अनुपालन हेतु अनेक नियम बनाए हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाएं। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हमें सार्थक प्रयास करने चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी अधिकारी, विशेषकर कार्यालय प्रधान, हिंदी में कार्य करने की पहल करें और वे स्वयं अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में निष्पादित करें। इससे अधीनस्थ एवं कर्मचारी स्वतः प्रेरित होकर अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करेंगे, जिससे प्रत्येक स्तर पर हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ सकेगा।

हमें हिंदी को बढ़ावा देने और उसका प्रचार-प्रसार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए, हम सब मिलकर हिंदी के प्रयोग को इस तरह बढ़ावा देने का संकल्प करें जिससे कि यह भाषा जन-साधारण की भाषा बनकर हमारे राष्ट्र के विकास में सहायक हो सके।

शुभकामनाओं सहित।

स्थान: : नई दिल्ली
दिनांक : सितम्बर 2014

(दिलीप त्रिवेदी)
महानिदेशक, केरिपुबल



बल ने जीते वीरता के सर्वाधिक पदक

राष्ट्र के 68वें स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को प्रदत्त किए गए कुल 178 शौर्य पदकों में से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर जवानों और अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस 2014 के अवसर पर एक बार फिर इनका एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया है। इस बल को प्रदान किए गए 71 शौर्य पदकों को एक ऐतिहासिक सफलता माना जा सकता है, क्योंकि ये एक ही अवसर पर देश के किसी भी पुलिस बल को प्रदत्त किए शौर्य पुरस्कारों में सबसे अधिक हैं। यह सफलता उस समय मिली है जब यह बल इस वर्ष अपनी हीरक जयंती मना रहा है। जुलाई 1939 में इसकी इसकी स्थापना से अब तक इस बल के अधिकारियों एवं जवानों को वीरता हेतु 1319 पदकों से अलंकृत किया जा चुका है, जिनमें 01 जार्ज क्रॉस, 03 किंग्स पी.एम.जी., 01 अशोक चक्र, 01 कीर्ति चक्र, 01 वीर चक्र, 12 शौर्य चक्र, 1 पदमश्री, 49 पी.पी.एफ.एस.एम.जी., शौर्य के लिए राष्ट्रपति के 184 पुलिस पदक, शौर्य के लिए 958 पुलिस पदक, 5 आई.पी.एम.जी, 4 विशिष्ट सेवा पदक, 1 युद्ध सेवा पदक, 5 सेना पदक, जीवन रक्षा हेतु प्रधानमंत्री के 91 पदक एवं 2 जीवन रक्षा पदक सम्मिलित हैं।

विगत कई वर्षों से इस बल ने पूर्वोत्तर में विद्रोह, पंजाब में आतंकवाद एवं जम्मू एवं कश्मीर में अलगाववाद का मुकाबला करने में मुख्य भूमिका निभाई है। वर्तमान में इस बल की अधिकांश नफरी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां बल के अस्सी हजार से अधिक अधिकारी एवं जवान तैनात हैं। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ने की इस बल की सक्रियता एवं प्रतिबद्धता इसे शौर्य के लिए

प्रदत्त किए गए पदकों की संख्या से भी परिलक्षित होती है। हमारी सैन्य टुकड़ियों को 71 में से 52 पदक वामपंथी उग्रवादियों से मुकाबला करने में शौर्य का अद्वितीय प्रदर्शन करने हेतु प्रदान किए गए हैं। पूर्वोत्तर में विद्रोह से संघर्ष करने हेतु बहादुर जवानों को 17 शौर्य पदक प्रदान किए गए हैं जिनमें से 15 पदक विशिष्ट 210 कोबरा बटालियन को पूर्वोत्तर में सक्रिय विद्रोहियों से मुकाबला करने हेतु प्रदान किए गए हैं, जोकि एक अकेली बटालियन के लिए एक गर्व की बात है। केवल वर्ष 2014 के दौरान ही इस बटालियन द्वारा 14 विद्रोहियों को मार गिराने और 56 को गिरफ्तार करने के अतिरिक्त उनसे 37 अत्याधुनिक हथियार, 1031 गोलियां, 19 ग्रेनेड, 6 बम, 2 आई.ई.डी. तथा 32 डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध सर्जिकल ऑपरेशन चलाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित ऐसी 10 विशिष्ट बटालियनों में से 210 कोबरा बटालियन एकमात्र कोबरा बटालियन है जो पूर्वोत्तर में तैनात है। वर्ष 2011 में इस क्षेत्र में इसकी तैनाती के पश्चात् इसने 670 उग्रवादियों का सामना किया जिनमें से 48 को मार गिराया और 622 को गिरफ्तार करके ग्रेटर नागालैंड लिबरेशन आर्मी को उसके मजबूत गढ़ में कड़ी चुनौती दी है।

9 अन्य कोबरा बटालियनें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार राज्यों में तैनात हैं। इन बटालियनों की सैन्य टुकड़ियों को उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करने हेतु 18 पदक प्रदान किये गए हैं।

कश्मीर घाटी में अभियानों के दौरान बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए 02 शौर्य पदकों से अलंकृत किया गया है।



छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में भीषण मुठभेड़ के दौरान शहीद सौनक कुमार दास, सहायक कमान्डेंट को असाधारण वीरतापूर्ण कृत्य हेतु शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 1 जून, 2013 को एक पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर अपने जवानों के साथ खलारी के घने जंगलों में काफी भीतर तक घुसकर माओवादियों के छिपने के ठिकानों पर छापा मारा। भीषण गोलीबारी में उन्होंने भारी तादात में मौजूद सशस्त्र माओवादियों के समूह का अकेले ही सामना किया और गम्भीर रूप से घायल और अशक्त होने के बावजूद उनमें से दो को मार गिराने में सफल रहे।



10 जून, 2012 को बिहार के चकरबन्धा जंगल क्षेत्र में सैनिक टुकड़ी की गश्त के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए जबरदस्त एम्बुश के दौरान माओवादियों के विरुद्ध भीषण मुकाबले में शहीद सिपाही शशिन्द्र कुमार शर्मा ने शहादत प्राप्त की। गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद भी वह तब तक बहादुरी से लड़ा जब तक कि वीरगति को प्राप्त नहीं हो गया और उसने सुनिश्चित किया कि माओवादी अपने बुरे इरादों में सफल न हो सकें। उसके बहादुरीपूर्ण असाधारण कृत्य के लिए उसे शौर्य के लिए पुलिस पदक (मरणोपरांत) से अलंकृत किया गया है।



19 अप्रैल, 2013 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादग्रस्त इलाके में ऑपरेशन चलाने हेतु जब सैन्य टुकड़ी निकली तो सशस्त्र माओवादियों द्वारा लगाए गए एम्बुश के दौरान अतुलनीय दृढ़ता, असाधारण साहस एवं उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करने के लिए शहीद सिपाही सन्नी सलाथिया को मरणोपरांत शौर्य के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। स्वर्गीय सिपाही सन्नी सलाथिया द्वारा दृढ़ निश्चय के साथ शुरू किए गए जबाबी हमले में दो खतरनाक माओवादी मारे गए और एम्बुश को तोड़ते हुए माओवादी वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए।



भारी संख्या में शौर्य पदकों के अतिरिक्त 5 कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और 58 कर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदकों से भी अलंकृत किया गया है।

यह बल देश के लोकतंत्र के बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचाने वाले और देश की एकता तथा अखंडता को नष्ट करने का इरादा रखने वाले राष्ट्र-विरोधी तत्वों के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह बल अपने शहीदों को नमन करता है और अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करने वालों के प्रति यह राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा।

(इसके इलावा अन्य शौर्य पदक विजेताओं की सूची अगले पृष्ठ पर है) →

वीरता के लिए पुलिस पदक विजेता



श्री गिरीश हल्की, सिपाही



श्री रोहित कुमार, सहायक
कमाण्डेंट



श्री हरजिन्दर सिंह, उप
निरीक्षक



श्री विकाश कुमार सिंह,
सिपाही



श्री विश्व रंजन, सहायक
कमाण्डेंट



श्री राम बिलाश, हवलदार/
चालक



श्री सदानंद यादव, हवलदार/
चालक



श्री इलंगम् यैमा सिंह,
हवलदार



श्री बिष्णुपद जमातिया, हवलदार



श्री शैलेन्द्र नाथ बेरा, सिपाही



श्री देवेन्द्र सिंह पाल, उप
कमाण्डेंट



श्री महिपाल सिंह रावत, उप
निरीक्षक



श्री अनिल कुमार यादव,
उप निरीक्षक



श्री चंदन कुमार, सिपाही



श्री बिजू कुमार रामचियारी,
सिपाही



श्री सुनिल पासवान, सिपाही



श्री महेन्द्र कुमार, द्वितीय कमान
अधिकारी



श्री सिंकू शरण सिंह, सहायक
कमाण्डेंट



श्री मोहन सिंह बिष्ट, उप
निरीक्षक



श्री दलीप सिंह, सिपाही



श्री अमित कुमार, सिपाही



श्री अजीत कुमार सिंह, सिपाही



श्री नवनीश कुमार, सिपाही



श्री गुरुचरण कलींदिया,
सहायक कमाण्डेंट



श्री धर्मन्द्र राय, सिपाही



वीरता के लिए पुलिस पदक विजेता



शहीद जयशंकर कुमार उपाध्याय
(मरणोपरान्त), सहायक कमाण्डेंट



श्री चित्रसेन गोंड, सिपाही



श्री आशुतोष तिवारी, हवलदार



श्री आर.के. बहली, सहायक
कमाण्डेंट



श्री मोहम्मद रशीद खान,
सिपाही



श्री कोमल सिंह, पुलिस
उप महानिरीक्षक



श्री मोहम्मद अशरफ, सिपाही



श्री वी. राधाकृष्णन, सिपाही



श्री बिजू जी.एस., सिपाही



श्री रमेश कुमार, निरीक्षक



श्री मनोज यादव, सिपाही



श्री राकेश राव, कमाण्डेंट



श्री जीतेंद्र कुमार सिंह,
हवलदार



श्री रवि कुमार डूडी, सहायक
कमाण्डेंट



श्री एच. किपगेन, सिपाही



श्री नचुमबेमो यंथन, निरीक्षक



श्री दिनामणि वैश्य, उप
निरीक्षक



श्री पंकज रहंग, सिपाही



श्री एस. इलंगो (द्वितीय बार पी.
एम.जी.), पुलिस उपमहानिरीक्षक



श्री जी. मधु, सहायक कमाण्डेंट



श्री मलिक शाहिद अहमद,
हवलदार/आर.ओ.



श्री दवाल साब, सिपाही



श्री जी. मधु (प्रथम बार पी.एम.
जी.), सहायक कमाण्डेंट



श्री रणजीत सिंह, सिपाही



श्री साजिथ ओ.वी., सिपाही

वीरता के लिए पुलिस पदक विजेता



श्री दिलीप कुमार मिश्रा,
हवलदार



श्री टीकम, सिपाही



श्री अनिल कुमार,
सहायक कमाण्डेंट



श्री जितेन्द्र सिंह, सिपाही



श्री मंजीत सिंह, सिपाही



श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक
कमाण्डेंट



श्री अनिल कुमार, सिपाही



श्री बिपिन सिंह, सिपाही



जी. हरी प्रसाद, सिपाही



श्री पूरन मल जाट, सिपाही



श्री राजू कुमार,
सहायक कमाण्डेंट



श्री विनोद सिंह, सिपाही



श्री कौशल सदन गिरी, सहायक
कमाण्डेंट



श्री लाल सिंह, सिपाही



श्री मनीष कुमार तिवारी,
सिपाही



श्री दिनेश सिंह रावत, सिपाही



श्री मूल चन्द वर्मा, निरीक्षक



श्री सुमित कुमार, सिपाही

विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक



श्री अजीत कुलश्रेष्ठ,
पुलिस महानिरीक्षक



श्री सतेन्द्र पाल सिंह,
पुलिस महानिरीक्षक



श्री सूरज भान काजल,
पुलिस महानिरीक्षक



श्री जे. राजेन्द्रन,
कमाण्डेंट



श्री जंगशेर सिंह,
निरीक्षक

सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक विजेताओं की सूची

क्र. सं.	नाम	पद
01.	श्री अमर सिंह नेगी	पुलिस उप महानिरीक्षक
02.	श्री रती रंजन दत्ता	पुलिस उप महानिरीक्षक
03.	श्री अशोक प्रसाद	पुलिस उप महानिरीक्षक
04.	श्री दिनेश उनियाल	पुलिस उप महानिरीक्षक
05.	श्रीमति नीतू डी भट्टाचार्य	पुलिस उप महानिरीक्षक
06.	श्री राजीव राय	पुलिस उप महानिरीक्षक
07.	श्री प्रशांत रामचन्द्र जम्भोलकर	पुलिस उप महानिरीक्षक
08.	श्री दिनेश प्रताप उपाध्याय	पुलिस उप महानिरीक्षक
09.	श्री कृष्णकान्त सिन्हा	पुलिस उप महानिरीक्षक

क्र. सं.	नाम	पद
10.	श्री शैलेन्द्र	पुलिस उप महानिरीक्षक
11.	श्री अनिल ढाँडियाल	पुलिस उप महानिरीक्षक
12.	डा. श्री त्रलोकी नाथ मिश्रा	पुलिस उप महानिरीक्षक (चिकित्सा)
13.	डा. श्रीकान्त कुमार श्रीवास्तव	पुलिस उप महानिरीक्षक (चिकित्सा)
14.	श्री कुंवर गोविन्द सिंह राठौर	कमाण्डेन्ट
15.	श्री राजगोपाल सिंह	द्वि. कमा. अधिकारी
16.	श्री ए जय चन्द्रन	द्वि. कमा. अधिकारी
17.	श्री अच्युत नन्द बस्तीया	द्वि. कमा. अधिकारी



क्र. सं.	नाम	पद
18.	श्री बी लीला कृष्णा पिल्लई	द्वि. कमा. अधिकारी
19.	श्री सेल्वन के	उप कमाण्डेन्ट
20.	श्री राम दास यादव	उप कमाण्डेन्ट
21.	श्री राम सिंह खम्पा	उप कमाण्डेन्ट
22.	श्री दिवाकर सिंह	सहायक कमाण्डेन्ट
23.	श्री राम सिंगार राम	सहायक कमाण्डेन्ट
24.	श्री परसु राम कुण्डा	सहायक कमाण्डेन्ट
25.	श्री धरमपाल सिंह	निरीक्षक
26.	श्री रामुलु जानकी सीलम	निरीक्षक
27.	श्री महेन्द्र सिंह	निरीक्षक
28.	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत	सूबेदार मेजर
29.	श्री परमहंस राय	निरीक्षक
30.	श्री नेत्रपाल सिंह	उप निरीक्षक
31.	श्री जयलाल सिंह	उप निरीक्षक
32.	श्री बसवंतप्पा कदप्पा पाटिल	निरीक्षक
33.	मोहम्मद गालिब खान	उप निरीक्षक
34.	श्री गजेन्द्र सिंह रावत	निरीक्षक
35.	श्री अर्जुन सुन्दरे	उप निरीक्षक
36.	श्रीमति भवानी चक्रवर्ती	उप निरीक्षक
37.	श्री पी वैनुगोपालन	उप निरीक्षक
38.	श्री गोपाल रंजन मिश्रा	सहायक उप निरीक्षक
39.	श्री सेल्वाराज के	सहायक उप निरीक्षक
40.	श्री पचन गोपाल कृष्णा पिल्लई	सहायक उप निरीक्षक

क्र. सं.	नाम	पद
41.	श्री पूरन सिंह	हवलदार
42.	श्री परेश चन्दर डे	हवलदार
43.	श्री लक्षेस्वर बर्मन	हवलदार
44.	श्री मोहम्मद कमाल मल्ला	सिपाही
45.	श्रीमति सिबानी लाल	सिपाही
46.	श्री स्विंदर सिंह	निरीक्षक / आर्मीरर
47.	श्री योगन्द्र सिंह	निरीक्षक / तकनिकी
48.	श्री प्रेम सिंह	निरीक्षक / डीएम
49.	श्री राम कुमार शर्मा	हवलदार / कारपेन्टर
50.	श्री टी राजेश्वर रेड्डी	हवलदार / आर्मीरर
51.	श्री बीपत हसन	सिपाही / धोबी
52.	श्री रामेश्वर लाल	सिपाही / सफाई कर्मचारी
53.	श्री गजेन्द्र पटरा	सिपाही / कुक
54.	श्रीमति लीला देवी	सिस्टर आई / सी
55.	श्री ओमप्रकाश	संयुक्त सहायक निदेशक
56.	श्री राकेश कुमार शर्मा	सहायक कमाण्डेन्ट / मंत्रालय
57.	श्री मोहिंदर सिंह	सहायक कमाण्डेन्ट / स्टेनो
58.	श्री रोहतास कुमार	सहायक उप निरीक्षक

बल के शूरवीरों का सम्मान समारोह

स्वतंत्रता दिवस, 2014 के अवसर पर घोषित वीरता के लिए 178 पदकों में से बल के 70 सूरमाओं ने 71 पदक जीते। इनमें से 4 ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह संख्या अब तक एक अवसर पर जीते गए पदकों में सबसे ज्यादा है। 29 अगस्त, 2014 को महानिदेशालय परिसर में इनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें महानिदेशक महोदय ने इन कार्मिकों का सम्मान किया। इस समारोह में बल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 1939 में गठित इस बल के कार्मिकों ने अब तक 1390 वीरता पदक जीते हैं।

शहीद सिपाही सनी सलाथिया की पत्नी श्रीमती नीतू सलाथिया इस अवसर पर मौजूद थीं जिन्हें एक फलक प्रदान किया गया जिसमें उनके पति की बहादुरी की दास्तान लिखी हुई है। इसके अलावा उन्हें एक प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया।

इस अवसर पर जवानों का हौसला बढ़ाते हुए श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय ने घोषणा की कि जो भी गैर-राजपत्रित कार्मिक वीरता पदक जीतेगा, उसे अपनी पसन्द की जगह पोस्टिंग दी जाएगी।



सहायक निदेशक (राजभाषा) की कलम से

— महिपाल सिंह रावत
सहायक निदेशक (राजभाषा)

“कोई देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतन्त्र नहीं है जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता” राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यह सुविचार, किसी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा या राजभाषा की अनिवार्यता को प्रतिपादित करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान तैयार करते समय यह महसूस किया कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा बनाया जाए जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों के एकजुटता की सूत्र रही और पूरे देश की सम्पर्क भाषा बन चुकी थी तथा अधिकांश जन-समुदाय द्वारा प्रयोग में लायी जा रही थी। अतः काफी सोच-विचार के बाद 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों की व्यवस्था की गई।

पिछले 6 दशकों से राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को गति देने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक आदेश/अनुदेश जारी किए गए हैं। हिंदी संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 बनाए गए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का 1976 में गठन किया गया है। इस समिति में लोक सभा से 30 सदस्य और राज्य सभा से 10 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा नीति

के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और निजी क्षेत्र के संस्थानों का निरीक्षण किया जाता है। केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को इन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का समुचित अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह समिति हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करके उस पर अपनी सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब तक यह समिति 8 खण्डों में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप चुकी है जिन पर अनेक आदेश भी जारी हो चुके हैं।

प्रारम्भ में हिंदी शब्दावलियों, साधनों और संदर्भ साहित्य के अभाव में हिंदी की प्रगति बहुत मंथर रही। लेकिन अब अभियान्त्रिकी, आयुर्विज्ञान, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, कृषि, विधि सहित





विभिन्न विषयों और ज्ञान-विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावलिआं और साहित्य हिंदी में प्रचुर मात्रा में तैयार कर चुका है। अनुच्छेद 351 के अनुसरण में इन शब्दावलियों का निर्माण संस्कृतमूलक या अन्य भारतीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों से किया गया है या ऐसे शब्द लिए गए हैं जो कि सरल और सुगम हैं जैसे acknowledgement के लिए मराठी से 'पावती'

और अधिनियम शब्दों का चयन किया गया है। इनके मूल में 'नियम' शब्द है जो यम धातु से बना है जिसका अर्थ 'बाँधना' या 'नियमित' करना है। अतः ऐसे शब्दों को अपनाने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए सामान्यतः प्रयोग में आने वाली विभिन्न विषयों की अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली 'राजभाषा निर्देशिका' के रूप में मेरे द्वारा तैयार करके डी.एम.एस. में डालने हेतु आई.टी. विंग को भेजी जा चुकी है। महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए स्थाई आदेशों और परिपत्र आदेशों का हिंदी रूपांतरण भी यथासमय किया जा चुका है। राजभाषा संबंधी विभिन्न आदेशों और अनुदेशों की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in और www.rajbhashasamiti.gov.in पर उपलब्ध है जिसे आवश्यकतानुसार डाउनलोड किया जा सकता है।

हिंदी दिवस के अवसर पर सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी को अपनाने के प्रति मैं अपना आह्वान आधुनिक हिंदी के निर्माता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की निम्नलिखित पंक्तियों से कर रहा हूँ जो कि हमें अपनी भाषा

हिंदी को अपनाने हेतु अभूतपूर्व प्रेरणा प्रदान करती है :-

**"निज भाषा उन्नति अहें, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न तन को सूल।।"**

शब्द लिया गया है और fiction, dependent और gentleman के लिए बंगला से क्रमशः उपन्यास, निर्भर तथा संब्रांत शब्द लिए गए हैं। इसी प्रकार Rule, Regulation और Act के लिए क्रमशः नियम, विनियम

**हिन्दी हमारी
मातृभाषा है;
मात्र
एक भाषा
नहीं.**

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में हिंदी प्रशिक्षण

— ओम प्रकाश शर्मा
निरीक्षक (हि.अनु.)

भारत संघ की राजभाषा से संबंधित सांविधानिक उपबन्धों को कार्यान्वित करने में के.रि.पु.बल अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तुलना में अग्रणी रहा है और इस क्षेत्र में कई उपलब्धियां भी अर्जित की हैं। बल के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण दिलाने के लिए यह बल लगातार प्रयत्नशील रहता है। चूंकि राष्ट्रपति के सन् 1960 के आदेश के अनुसार हिंदी नहीं जानने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य है, अतः देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थानों और उप संस्थानों में कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार नामित करके हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाया जाता है ताकि कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित हिंदी प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु केरिपुबल में महानिदेशालय के स्तर पर हिंदी अनुभाग द्वारा केन्द्रीयकृत स्तर पर हिंदी प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग की जाती है और बल में जो कर्मचारी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष है उन्हें एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उनके तैनाती स्थान के समीप स्थित केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान या उप संस्थान में पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है ताकि कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करके इस बल में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे सकें।

बल के नवनियुक्त कर्मचारियों को भी चरणबद्ध तरीके से उनकी पात्रता को ध्यान में

रखते हुए हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है ताकि ये कर्मचारी अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण करके राजभाषा की प्रगति में अपना सार्थक योगदान दे सकें। वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित विवरण के अनुसार बल के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और आशुलिपि आदि का प्रशिक्षण दिलाया गया है :—

हिंदी भाषा	—	25
हिंदी टंकण	—	252
हिंदी आशुलिपि	—	02
कम्प्यूटर पर हिंदी प्रशिक्षण	—	06
त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण	—	03
अनुवाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण	—	06

उपर्युक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर संबंधित कार्मिकों को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार विशेष वेतन वृद्धियां और नकद पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया है।





संसदीय राजभाषा समिति

— श्री महिपाल सिंह रावत

सहायक निदेशक (राजभाषा)

संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। इस समिति में लोक सभा से 30 सदस्य और राज्य सभा से 10 सदस्य होते हैं। जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर अपनी सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसकी प्रति राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी के लिए भी भेजी जाती है।

राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपना प्रतिवेदन खण्डों में प्रस्तुत करने का निश्चय किया था। समिति ने अपनी रिपोर्टों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में अनुवाद व्यवस्था, हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण तथा उपयोग, अनुवाद कार्य के लिए सक्षम उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम, कार्यालयी कामकाज में यांत्रिक आवश्यकता और उपयोगिता तथा उनमें देवनागरी लिपि में कार्य करने की व्यवस्था, प्रशिक्षण, आकाशवाणी/दूरदर्शन में हिन्दी पाठ्यों का प्रसारण, भर्ती के लिए हिंदी में साक्षात्कार का विकल्प, कृषि, इंजीनियरिंग तथा आर्युविज्ञान की भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प, देश के विभिन्न भागों में स्थित सरकारी कार्यालयों और उपकरणों में राजभाषा प्रयोग की स्थिति के संबंध में उप समितियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण, विभिन्न न्यायालयों और

न्यायाधीकरणों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, केन्द्रों और राज्यों के मध्य प्रयुक्त होने वाली पत्राचार की भाषा आदि विषय सम्मिलित हैं।

संसदीय राजभाषा समिति एक सर्वोच्च संवैधानिक समिति है जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, जो प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों आदि में राजभाषा हिंदी की प्रगति का निरीक्षण करती है। इस प्रयोजन के लिए तीन उप समितियां गठित की गई हैं। इन्हें अलग-अलग मंत्रालयों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समय-समय पर निरीक्षण करती हैं। संसदीय राजभाषा की पहली उप समिति गृह मंत्रालय से संबंधित कार्यालयों का निरीक्षण करती हैं। प्रत्येक उप समिति में 10 सांसद होते हैं जिसमें वरिष्ठतम सांसद उपाध्यक्ष या संयोजक के रूप में कार्य करता है। निरीक्षण करने संबंधी सूचना संबंधित कार्यालयों को फैंक्स या स्पीड पोस्ट द्वारा निरीक्षण की तिथि से लगभग 15-20 दिन पूर्व सूचित कर दी जाती है। इस निरीक्षण में समिति के सदस्यों के अतिरिक्त समिति कार्यालय के पदाधिकारी, संबंधित मंत्रालय के अधिकारी और मुख्यालय के नामित अधिकारी भाग लेते हैं। इस निरीक्षण की कार्रवाई काफी विस्तृत होती है। जिसकी तैयारी में भी अधिक समय लगता है। निरीक्षण की सूचना मिलने पर एक वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क अधिकारी नियुक्ति किया जाता है, जिसका पूरा नाम, पदनाम, घर का पता, कार्यालय तथा घर का दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या, फैंक्स संख्या की जानकारी शीघ्र समिति सचिवालय को यथाशीघ्र भेजी जाती है। जिनसे समिति सचिवालय के अधिकारी निरीक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार



की जानकारी किसी भी समय प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार मंत्रालय और मुख्यालय के प्रतिनिधियों तथा निरीक्षण होने वाले कार्यालय के उक्त निरीक्षण में भाग लेने वाले अधिकारियों के नाम समिति सचिवालय को भेजा जाता है। निरीक्षण में शामिल होने वाले अधिकारियों एवं कर्मिकों की नेम प्लेटें भी तैयार की जाती हैं। यदि एक केन्द्र में एक से अधिक कार्यालयों का निरीक्षण होना है तो उन कार्यालयों के अधिकारी परस्पर बैठक करके निरीक्षण स्थल, समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के परिवहन, आवास, भोजन, दूरभाष, स्वागत, बेनर आदि के संबंध में निर्णय लेते हैं। समिति के सदस्यों की मर्यादा के अनुकूल सभी व्यवस्थाएँ की जाती हैं। समिति के सदस्यों एवं अधिकारियों के लिए ठहरने की व्यवस्था करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि समिति के सदस्यों एवं अधिकारियों के आवास की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि भोजन की व्यवस्था भी उसी परिसर में एवं वरीयतन उसी मंजिल पर उपलब्ध हो।

इस निरीक्षण हेतु समिति सचिवालय द्वारा एक निरीक्षण प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in और www.rajbhashasamiti.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें निरीक्षित किए जाने वाले कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नफरी, प्रशिक्षण, हिंदी में कार्य का प्रतिशत, हिंदी पत्राचार की स्थिति, राजभाषा नियम एवं अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन, जांच बिन्दु, कम्प्यूटरों की उपलब्धता एवं उनमें हिंदी में कार्य करने की सुविधा, रजिस्ट्रों एवं सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ, शब्दकोशों एवं शब्दावलियों की उपलब्धता, बैठकों के कार्यवृत्त एवं निरीक्षण रिपोर्ट हिंदी में तैयार करने की स्थिति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं पर अमल करने, वार्षिक कार्यक्रम की उपलब्धता एवं विचार-विमर्श, राजभाषा

कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों के आयोजन, कार्यालय/मुख्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण, हिंदी में दिवस-पखवाड़े का आयोजन, हिंदी पुस्तकों की खरीद पर पुस्तकालय अनुदान का 50 प्रतिशत व्यय करने की स्थिति आदि की जानकारी दर्शायी जाती है एवं इसके अतिरिक्त संबंधित मंत्रालय व मुख्यालय की भी प्रश्नावली संलग्न की जाती है। निरीक्षण स्थल पर रजिस्ट्रों, फाइलों, मोहरों, मैनुअलों, हिंदी पुस्तकों, शब्दकोशों और शब्दावलियों आदि की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है।

इस निरीक्षण की कार्यवाही गुप्त होती है, जिसे समिति का रिपोर्टर स्वयं दर्ज करता है। निरीक्षण की अध्यक्षता वरिष्ठतम सांसद द्वारा की जाती है। प्रारम्भ में वे अपने सदस्यों का परिचय कराते हुए संसदीय राजभाषा समिति के संबंध में जानकारी देते हैं। तत्पश्चात अनुमति प्रदान करने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा मंत्रालय, मुख्यालय और कार्यालय के अधिकारियों से समिति को परिचय कराया जाता है और अपने कार्यालय के इतिहास की संक्षिप्त एवं अन्य विशिष्ट जानकारी दी जाती है। इसके पश्चात निरीक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ होती है जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा बारी-बारी से निरीक्षण प्रश्नावली में भरी गई जानकारी के संबंध में संबंधित कार्यालय प्रमुख से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार मंत्रालय और मुख्यालय के प्रतिनिधियों से भी उक्त प्रश्नावली में संलग्न उनकी प्रश्नावली के संबंध में पूछताछ की जाती है। कार्यालय प्रमुख और मंत्रालय और मुख्यालय के प्रतिनिधि इस निरीक्षण का समापन अध्यक्ष की अनुमति और निरीक्षित किए गए कार्यालय प्रमुख के धन्यवाद भाषण के साथ होता है। इस निरीक्षण पर होने वाला व्यय उस केन्द्र में निरीक्षित होने वाले कार्यालयों द्वारा बराबर वहन किया जाता है। समिति सचिवालय से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक निश्चित समयावधि के अंदर उसकी अनुपालना भेज दी जाती है।

केरिपुबल में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन

— निरीक्षक (हिं.अनु.) टी.एस. ढाका
गुप केन्द्र, गुड़गांव

मैं इस महान बल में वर्ष 1985 से स.उ.नि. (मंत्रा.) पद पर भर्ती हुआ था। भर्ती के समय में ही मेरी शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर थी। यद्यपि उस समय इस पद पर 12वीं पास व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। मैंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य पढ़ा था तथा उस समय में कार्यालयी कार्य अधिकतर अंग्रेजी में ही होता था। मैं 85वीं वाहिनी में तैनात था मुझे याद है मेरी बटालियन में उस समय केवल एक या दो व्यक्ति ही हिन्दी लिखा करते थे। अधिकतर कामकाज अंग्रेजी में ही होता था।

चूँकि मैं अंग्रेजी में स्नातक था तो अपने आपको

, एम.ए. पास स्वयं को अनपढ़ पाता था। वा री अंग्रेजी माता आपको कोटि-कोटि प्रणाम। अब हैड साहब को चुनौती और वो भी हमारे बल में नौकरी नहीं करनी है क्या।

अब क्या करें, नौकरी तो करनी है बच्चे पालने हैं। किसी तरह से मेहनत करके छोटा थानेदार नियुक्त हुआ था तथा 925 रुपये प्रतिमाह मिलने लगे थे। इसी दौरान हमे मसीहा के रूप में एक स.उ. नि.(मंत्रा.) नरसाराम के दर्शन हुए। वे अपना 100 प्रतिशत काम हिंदी में ही करते थे। चूँकि उन्हें अंग्रेजी न के बराबर आती थी। उन्होंने मुझे कहा अरे कहां

अंग्रेजी में अटके हो, मातृभाषा में लिखो तथा सुखी रहो। अंग्रेजी में हर कोई काटपीट करेगा, परन्तु हिंदी, हिन्दी में पत्र कोई पढ़ता है क्या, सीधे कमान्डेंट साहब से दस्तखत होता है मसौदा भी नहीं, सीधे फेयर करो। मुझे बड़ा सूकून



हुआ। मैंने पाया उस समय और परिस्थिति में नरसाराम सही था। मुझे हिंदी टंकण भी नहीं आता था। टाईपिंग आती थी अंग्रेजी की। मैंने स्वयं के अभ्यास से हिंदी टंकण सीखा तथा अंग्रेजी को अलविदा कहा।

हुआ। मैंने पाया उस समय और परिस्थिति में नरसाराम सही था। मुझे हिंदी टंकण भी नहीं आता था। टाईपिंग आती थी अंग्रेजी की। मैंने स्वयं के अभ्यास से हिंदी टंकण सीखा तथा अंग्रेजी को अलविदा कहा।



अब मुझे भाषा के मामले में किसी से कुछ नहीं पूछना था। मैं बेबाक हिंदी लिखता और मेरी नाव चल पड़ी। वह बात अलग थी कि कभी कभी बेटार आदि अंग्रेजी में लिखते, पर अब हिंदी में सब कुछ होता था। मुझे 85वीं बटालियन का पहला बलादेश केवल हिन्दी में जारी करने के उस समय 20 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया था। परन्तु होनी को कुछ और ही मंजूर था। अगली तैनाती सीधे महानिदेशालय, नई दिल्ली में। लोगों ने कहा बेटा अब देख, अब पता चलेगा अब लिखना हिंदी में। दिल्ली आने पर अर्थात् महानिदेशालय आने के बाद पता चला कि अधीनस्थ कार्यालयों को केवल हिंदी में कामकाज करने के निर्देश और सलाह देने वाला यह महानिदेशालय उस समय स्वयं नाममात्र हिंदी लिखता तथा अधिकतर काम अंग्रेजी में ही करता था।

मैं स्वयं का पूरा विवरण न लिखते हुए यहां

यह कहना चाहता हूँ कि इस बल ने अगर अन्य क्षेत्रों में प्रगति की है तो निःसंदेह हिंदी कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी भारी तरक्की की है। इसका श्रेय कुछ मुट्ठी भर अधिकारियों तथा हिंदी अनुवादकों को जाता है। मेरे सेवाकाल के दौरान श्री महेन्द्रा प्रसाद, श्री दीप कुमार सिरौही, श्री ई. निर्मलाराज, श्री एच.आर. सिंह, श्री एम.सी.पवार, पुलिस उप महानिरीक्षक आदि ऐसे अधिकारी मिले जिन्होंने हिंदी में 100 प्रतिशत कार्य कराकर बल का नाम रोशन किया। ऐसा नहीं कि अन्य अधिकारी नहीं होंगे। अवश्य होंगे तथा अभी भी हैं। परन्तु हमारे बल में केवल मुट्ठी भर हिन्दी अनुवादकों ने जिस प्रकार राजभाषा का प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन किया है वह निःसंदेह सराहनीय है। हमारा बल एक नहीं कई बार गृह मंत्रालय से शील्डें प्राप्त कर चुका है। परमात्मा करें हमारी अपनी राजभाषा हिंदी लगातार बढ़ती रहे। यही मेरी कामना है।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए बल के कार्यालयों का निरीक्षण

1. ग्रुप केन्द्र बनतलाब, जम्मू
2. ग्रुप केन्द्र, अजमेर (मौखिक साक्ष्य)
3. 6 बटालियन, कटरा, जम्मू
4. द्रुत कार्य बल सेक्टर मुख्यालय
5. ग्रुप केन्द्र, इलाहाबाद
6. कोबरा सेक्टर मुख्यालय, दिल्ली
7. ग्रुप केन्द्र, सोनीपत (मौखिक साक्ष्य)
8. ग्रुप केन्द्र भुवनेश्वर, ओडिसा

महानिदेशालय द्वारा वर्ष 2013 और 2014 के दौरान किए गए बल के कार्यालयों का निरीक्षण

महानिदेशालय मुख्यालय द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए वर्ष 2013 के दौरान बल के 88 अधीनस्थ कार्यालयों और वर्ष 2014 के दौरान अब तक 55 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है।



जन जन की भाषा हिंदी

निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) आर.के. पाण्डेय
पूर्वी सेक्टर मुख्यालय, कोलकाता

हिंदी देश की जन-जन की भाषा है और देश के कोने-कोने में बोली जाने वाली एकमात्र भाषा है। यहा तक की हिंदीतर् भाषी भी टूटी-फूटी बोल और समझ सकते हैं। हिंदी हिन्दुस्तान के एक विशाल भू-भाग की भाषा है। यह देश की राष्ट्रभाषा होने के साथ-साथ यह अनेक राज्यों की राजभाषा भी है। आज हिंदी समस्त भारत की सम्पर्क भाषा बन गई है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का विकास हो रहा है इसीलिए हिंदी भाषा आज राष्ट्रीय भाषा ही नहीं है अपितु अंतराष्ट्रीय स्वरूप भी स्थापित कर चुकी है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी बोलने वालों का दूसरा स्थान है।

हिंदी एक अत्यन्त सरल, व्यवहारिक एवं जीवंत भाषा है। इस भाषा में जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है, तभी तो हिंदी वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी को विश्व स्तर पर प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने गुजरात के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। हिंदी वैज्ञानिक भाषा होने के कारण ही आज विश्व के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है। छः हिंदी सम्मेलानों से शक्ति प्राप्त कर हिंदी आज विश्व भाषा और संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने की ओर अग्रसर है।

हिंदी को अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहार वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हिंदी में निःसंकोच सम्बोधित कर यह साबित किया है कि हिंदी भाषा भारत के लोगों की जन-जन की भाषा है। इसी तरह वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी जी

ने भूतान दौरे पर अपने देश की गरिमा को बढ़ाते हुए भूतान के संसद में भूतान के संसद सदस्यों को हिंदी में संबोधित कर गौरवान्वित किया है और यह साबित किया है कि हमारे देश की जन-जन की भाषा अर्थात् राष्ट्राध्यक्ष हिंदी है। जब हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष विश्व पटल पर हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो हम कुछ लोगों को हिंदी भाषा के प्रति उपेक्षाओं की दृष्टि से देखने का हक नहीं है।

हिंदी फिल्मों/गानों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यह पसंदीदा भाषा है। विज्ञापन जगत की तो यह आधार भाषा बन गई है। विज्ञापन अंग्रेजी में हाने वाले पर भी 'टैग लाईन' हिंदी में होना, हिंदी के प्रति जनता के बढ़ते प्रेम को दर्शाता है। इसीलिए नई पीढ़ी केवल हिंदी को पारिवारिक व सामाजिक व्यवहार की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुकी है। अतः नई पीढ़ी हिंदी की जानकार हो गई है। डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल द्वारा सन् 2012 में किए गए शोध अध्ययन के अनुसार विश्व में हिंदी जानने वाले कुल 1200 मिलियन हैं जो विश्व के कुल जनसंख्या 7 अरब का 17.17 प्रतिशत है अर्थात् हर छठवाँ व्यक्ति हिंदी जानता है।

आइए, हम हिंदी दिवस अर्थात् 14 सितम्बर को यह संकल्प लें कि आज से अपना समस्त सरकारी काम-काज में हिंदी को अपनाते हुए न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का पूरजोर प्रयास करें अपितु विश्व पटल पर भी देश के कर्णाधारों द्वारा अपने विचार हिंदी में प्रस्तुत करके सभी देशों के सामने इसे राजभाषा होने का सही सम्मान और गौरव दिलायें। तभी तो आने वाले समय में हिंदी के अच्छे दिन आयेंगे।



एकता में राजभाषा का महत्त्व

—निरी. (हिं.अनु.) आर.के.एल. कर्ण
ग्रुप केन्द्र, पिंजौर (हरियाणा)

किसी भी देश या राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को कायम रखने के लिए उस देश या राष्ट्र के राजभाषा की अहम भूमिका होती है। देश की सम्प्रभुता भी इसी कारण सम्पुष्ट होती है। हमारा देश भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के कारण देश की सम्प्रभुता को कायम रखना यहां और भी आवश्यक है। हालांकि, एकता व अखण्डता बड़े या छोटे सभी राष्ट्रों के लिए भी जरूरी है जिसे कायम रखने के लिए उस देश की राजभाषा का अनुपालन मुख्य भाग होता है।

भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 17 प्रकार की हिंदी भाषा की शैलियां हैं, जिसे हम राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी एवं पहाड़ी हिंदी के अन्तर्गत आने वाली भाषाओं के नाम से जानते हैं। जैसे—

- पूर्वी हिंदी — अवधी, वधेली और छत्तीसगढ़
- पश्चिमी हिंदी — खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी
- पहाड़ी हिंदी — गढ़वाली और कुमांडनी
- बिहारी हिंदी — मैथिली, मगही और भोजपुरी
- राजस्थानी हिंदी— मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी

इन भाषाओं को एक निश्चित क्षेत्र में ही बोला जाता है जिसे सामान्यतया केवल उस क्षेत्र के लोग ही बोलते हैं। प्रत्येक भाषा अनेक पूर्ण तथा बोधगम्य

विचारों का समाहार होती है। मनुष्य के भावों और विचारों में छिपे अर्थ को व्यक्त तथा स्पष्ट करना वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। अपनी अभिव्यक्ति में गंभीरता, सरलता, प्रभावशीलता एवं विशेषताएं आदि उसके उद्बोधन पर आधारित होती है। भाषा के संबंध में यह भी कहा जाता है कि, मानव उच्चारण-अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक एवं रुढ़ ध्वन्यात्मक प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग आपस में विचार-विनिमय करते हैं। कवि, लेखक वक्ता रूप में अपने भावों-विचारों, अनुभवों-अनुभूतियों आदि की अभिव्यक्ति करते हैं तथा सामाजिक अस्तित्व और विशिष्टता के संबंध में जाने-अनजाने जानकारी देते हैं।

भाषा में इतनी शक्ति होती है कि वह अपनी ओर आकर्षित करने की प्रक्रिया की शुरुआत बहुत जल्द ही करने लगती है। परिणामतः, भाषा के जरिए आपस में काफी मेल-मिलाप एवं एकजुटता बढ़ने लगती है। इसी रूप में देश में एकजुटता को बढ़ाने के लिए राजभाषा ही एकमात्र मजबूत कड़ी है जिसे अपनी वाणी में प्रयोग कर देश की एकता को समृद्ध कर सकते हैं। हमारे देश के भीतर भी राजभाषा हिंदी के कारण ही उत्तर के लोग दक्षिण के लोगों से आपसी संवाद करते हुए आपसी मेल-जोल बढ़ाते हैं, इसी प्रकार पश्चिम के लोग पूरब के लोगों के बीच एकता को बढ़ाते हैं। राजभाषा में सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसे प्रयोग करने के लिए पूर्णतः छूट प्रदान की हुई है जिसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। केन्द्र सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा समयानुसार इसमें नए-नए संशोधन कर इसे अपनाने



के लिए हिंदीतर भाषा-भाषी के लिए भी आसान बना दिया है।

सन् 1835 में ब्रिटिश संसद में वहीं के “लार्ड मैकाले” द्वारा भी भारत देश के बारे में यही कहा गया था कि यदि भारत पर अधिक समय तक राज करना है तो सबसे पहले उनकी भाषा एवं संस्कारों पर चोट

पहुंचानी होगी अर्थात् हिंदी भाषा को कमजोर करना होगा। इस चाल को कामयाब करने में वे सफल भी हुए क्योंकि, जबतक हम इसे समझ पाते तबतक काफी देर हो चुकी थी। नतीजतन, हम भारतवासियों को सैकड़ों वर्ष पराधीनता की जंजीरों में जकड़े रहना पड़ा।

राष्ट्र के प्रति देशभावना भी राजभाषा के माध्यम से आसानी से जगाई जा सकती है। देश के आजादी से पूर्व हों या आजादी के बाद लगभग सभी महानायकों (नेताओं या स्वतंत्रता सेनानियों) द्वारा राजभाषा हिंदी में ही अपने-अपने नारे लिखवाकर प्रचार-प्रसार का माध्यम बनाया गया। इसके सहारे ही देश की आम जनता तक पहुंचने तथा उनके दिलों में देशभावना को जगाने में कामयाब हुए। देशवासियों के बीच देशभावना को जागृत करने से ही एक-दूसरे के प्रति मानवता, भाईचारा एवं हमदर्दी आदि का संचार होगा। फलस्वरूप, देश में आपसी सद्भाव तथा भाईचारा स्वतः ही बढ़ना शुरू हो जाएगा और सभी के बीच में एकता एवं अखण्डता कायम रहेगा। प्रसिद्ध उपन्यासकार “मुंशी प्रेमचंद” द्वारा भी दिया गया यह उक्ति पूर्णतः चरितार्थ है

“जिसकी कोई राजभाषा नहीं, उसका कोई राष्ट्र भी नहीं।”

राजभाषा न केवल देशवासियों को एकसूत्र में पिरोने का माध्यम है बल्कि उनके बीच सभी प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष एवं भेद-भाव को दूर कर आपसी एकजुटता को कायम रखती है। ‘पंचतंत्र’ में अभिव्यक्त अलग-अलग लकड़ी को तोड़ देना परन्तु उनके गट्ठर को नहीं तोड़ पाने की कहानी को भी यदि हम भाषा के ऊपर रखकर देखें तो अवश्य ही हमारी सोच अपनी राजभाषा के प्रति और भी सुदृढ़ हो जाएगा। फिर, हम अवश्य ही अपने देश के भीतर एकता एवं अखण्डता को पुष्ट होते पाएंगे।

हिन्दी दिवस 14 सितम्बर

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति कौ मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिय को सूल॥

इस भाव को आत्मसात करते हुए हमारी मातृभाषा ‘हिन्दी’ को चौदह सितम्बर उन्नीस सौ उन्चास को राजभाषा के रूप में मान्यता देकर इसे गौरवमयी पद पर आसीन किया गया।

इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाता रहा है। इस महत्त्वपूर्ण दिवस पर हिन्दी से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके राजभाषा के प्रति प्रेम प्रकट किया जाता है।

राष्ट्रीय एकता में हिन्दी की भूमिका, अन्य संस्कृतियों को अपनाने के गुण तथा इसकी विभिन्न भाषाओं से विशिष्ट विशेषताएँ हिन्दी को देश की सम्पर्क भाषा बनाती है।



हिन्दी भारतीय संस्कृति की आत्मा है

— श्री के. के. पाण्डेय

कमान्डेंट 2 बटालियन, के.रि.पु.बल

यह सच है कि अपनी राष्ट्रीय भाषा में ही अपने राष्ट्र की धड़कने सुनी जा सकती है। यह भी सच है कि इंसान अपनी भाषा में ही सपने देखता एवं बुनता है। यहाँ यह भी कहना यथोचित होगा कि प्रत्येक राष्ट्र की पहचान के कुछ प्रतीक चिह्न होते हैं जिसमें मुख्यतः राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रभाषा हैं जिस पर पूरे देशवासी गौरव महसूस करते हैं। निःसंदेह हिन्दी न केवल हमारे देश की प्रमुख भाषा है बल्कि यह भारत की राजभाषा भी है। हिन्दी हिन्दुस्तान की धड़कन तथा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हिन्दी ने हमारे देश की समस्त भाषाओं को जोड़कर भावनात्मक एकता स्थापित की है। हिन्दी ने हमारे देश की चारों दिशाओं को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक आपस में जोड़ कर वैचारिक आदान-प्रदान करने का सशक्त माध्यम दिया है। हिन्दी को जब हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो एक अपनापन का एहसास होता है, एक विशेष तरह अनुभूति होती है जो हमें रूहानी सुकून प्रदान करती है। मातृभाषा में वार्तालाप करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा अपनत्व का बोध होता है। व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसकी भाषा से होती है। व्यक्तियों से राष्ट्र बनता है। अतः अधिसंख्य व्यक्तियों की अपनी भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा ही किसी राष्ट्र की पहचान होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था “राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है।”

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भारत के विभिन्न भागों से उभरकर आए नेताओं में यथा महात्मा गाँधी गुजरात, बालगंगाधर तिलक महाराष्ट्र, लाला लाजपत राय पंजाब, सुभाष चन्द्र बोस बंगाल आदि जब

अपने-अपने प्रदेश से निकलकर बाहर आए तो उनके समक्ष यह प्रश्न था कि भावाभिव्यक्ति की भाषा क्या हो। वे सभी अपनी मातृभाषा में प्रवीण थे किन्तु विश्व में अपनी आवाज को हिन्दी में बुलंद किया। यहीं से हिन्दी का संपर्क भाषा का स्वरूप विकसित हुआ तथा 14 सितम्बर 1949 को संविधान ने हिन्दी को भारत का राजभाषा घोषित किया।

हिन्दी अब केवल भारत में ही नहीं जानी समझी और बोली जाती है बल्कि विश्व स्तर पर इसका व्यापक प्रयोग होने लगा है। कई देशों में तो यह वहाँ प्रमुख भाषा के रूप में मान्य है। एक सर्वेक्षण के अनुसार हिन्दी जहाँ विश्व के 44 देशों में बोली और समझी जाती है वहीं पर विश्व के 120 विश्वविद्यालयों में यह पढ़ाई जा रही है। साथ ही विश्व के और जिन देशों में हिन्दी किसी न किसी रूप में प्रयोग में आती है वहाँ इसका निरन्तर विस्तार हो रहा है। भूमण्डलीकरण के बाद हिन्दी का जैसा व्यापक विस्तार हुआ है वह हिन्दी की सशक्तीकरण का प्रमाण है। इंटरनेट, कम्प्यूटर और फिल्मों के माध्यम से हिन्दी को वह विस्तार मिला है जिसकी इसे आवश्यकता थी। कम्प्यूटर के बादशाह बिलगेट्स ने स्वयं हिन्दी को कम्प्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा माना है क्योंकि हिन्दी की देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बुश को भी हिन्दी की महत्ता स्वीकार करनी पड़ी है। हम हिन्दी वालों के लिए यह एक सुखद अनुभूति की बात है कि अमेरिकी प्रशासन ने अन्यान्य विदेशी भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी को भी ऐसी भाषा



माना है जो इस सदी में अमेरिकी सुरक्षा एवं समृद्धि की जमानत हो सकती है। यही कारण है कि अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि उसके नागरीक हिन्दी सीखें। चीन में भी हिन्दी अध्ययन के प्रति आकर्षण बढ़ा है। ब्रिटिश कौंसिल की अध्ययन रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि चीन में हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता ने यह संकेत दिया है कि हिन्दी की बढ़ती हुई शक्ति एवं महत्व को वैश्विक स्तर पर स्वीकृति मिलने लगी है। पूरे विश्व में हिन्दी के पक्ष में अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है।

विश्व के अनेक देशों में हिन्दी के विस्तार के कई कारण हैं। इनमें नई बाजार व्यवस्था, भाषा एवं संस्कृति का आदान-प्रदान और आध्यात्मिक एवं योग क्रिया विधियों के प्रति विदेशियों में आकर्षण। अमेरिका, जापान, जर्मनी, चीन, रूस एवं फ्रांस में हिन्दी के प्रति एक गहरा जुड़ाव पीछले पन्द्रह वर्षों में देखने को मिला है।

हिन्दी के प्रति यह एक आम धारणा रही है कि यह रोजगारोन्मुख नहीं है, जो कि सही नहीं है। जिस गति से हिन्दी का प्रचार-प्रसार हो रहा है उस गति से हिन्दी भाषा में रोजगार की नई संभावनाएँ उभर रही हैं। हिन्दी सिनेमा के बाद मनोरंजन टी.वी. चैनल्स, विज्ञापन, अखबार, न्यूज चैनल्स में हिन्दी आपको रोजगार दिला सकती है। डबिंग, स्क्रिप्टिंग, संवाद लेखन, टी.वी. धारावाहिक सभी के लिए हिन्दी लिखने वालों की माँग है। इसके साथ ही यदि आप अंग्रेजी या फिर देश-विदेश की अन्य भाषाओं के जानकार भी हैं तो फिर अनुवादक के तौर पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में हिन्दी में बड़ी संख्या में पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं और इसमें बड़ी संख्या युवा साहित्यकारों की है जिनकी शिक्षा और रोजगार की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन अभिव्यक्ति की भाषा हिन्दी ही है। बीच में एक समय आया था जब

हिन्दी में इक्की दुक्की ही नामी साहित्यिक पत्रिकाएँ थी— हंस, ज्ञानोदय जैसी। अब पाखी, बयां, तद्भव, साक्षात्कार, शब्दयोग, मधुमति, आकार, आलोचना, आधारशीला, कथाबिंब, कथा चक्र, कथा देश, जैसी पत्रिकाएँ देश में प्रकाशित हो रही हैं तो वहीं विदेशों में भी प्रवासी भारतीय अन्यथा, गर्भनाल, कर्मभूमि, हिन्दी नेस्ट आदि पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इसी तरह अभिव्यक्ति, अनुभूति, रचनाकार, सृजनगाथा, शब्दकार, नव्या, हिन्दी कुंज आदि साहित्यिक पत्रिकाएँ इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इन सभी पत्रिकाओं में बड़ी संख्या में युवा लिख रहे हैं और इन्हें पढ़ा भी जा रहा है। इसका सबसे सुखद पहलू यह है कि इन पत्रिकाओं में लिखने वाले युवा सॉफ्टवेयर इंजिनियर, डॉक्टर आदि पेशे से संबद्ध हैं और हिन्दी में कहानियाँ लिख रहे हैं। इसी तरह ब्लॉगिंग की दुनिया में ज्यादातर युवा ही सक्रिय हैं और हिन्दी ब्लॉगिंग में भी युवाओं का हिस्सा बहुत बड़ा है। यहाँ यह भी वर्णित करना उचित समझता हूँ कि सुरक्षा बलों ने भी हिन्दी के प्रसार में अहम भूमिका निभायी है। सुरक्षा बलों में देश के हर कोने से आए जवान तैनात हैं चाहे वे दक्षिण भारत के हों या उत्तर पूर्व यहाँ सेवा प्रदान करते समय उत्तर भारतीय जवानों के संपर्क में आने से वे अच्छी हिन्दी बोलने एवं समझने लगते हैं।

आखिर में कहना चाहूँगा कि इस बात की जरूरत है कि हम अपने रोजमर्रा की जिन्दगी में हिन्दी का अत्यधिक प्रयोग करते हुए गर्व महसूस करें। हिन्दी हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आन्दोलनों की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना एवं स्वाधीनता आन्दोलन की अभिव्यक्ति की भाषा है। यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है तथा हर हिन्दुस्तानी की यह नैतिक जिम्मेवारी है कि हिन्दी की खुशबू को महसूस करें तथा इसे सर्वाधिक उँचाई तक ले जाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें।



कार्यालयी अनुवाद का सरलीकरण

निरीक्षक (हिंदी अनु.) सुशील कुमार
छत्तीसगढ़ सेक्टर, रायपुर

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने के बाद हिंदी मात्र साहित्य और समाचार-पत्रों की भाषा न रहकर केंद्र के शासन की भी भाषा बन गई है। सरकारी कार्यालयों से जो भाषा जनता तक पहुँचती है, लोकतंत्र की सफलता में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। राजभाषा या शासकीय भाषा ही जनता और शासन के बीच कड़ी का काम करती है। इसलिए वह भाषा ऐसी होनी चाहिए, जिसे जनता आसानी से समझ सके। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुनते हुए 1917 में राष्ट्रभाषा के लिए निम्नलिखित 5 गुणों की आवश्यकता बताई थी :-

1. वह भाषा सरकारी नौकरी के लिए आसान होनी चाहिए।
2. उस भाषा के द्वारा भारत का आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कामकाज पूरा होना चाहिए।
3. उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों।
4. वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान होनी चाहिए।
5. उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या अस्थायी स्थिति पर जोर न दिया जाए।

हिंदी अपनी इन्हीं गुणों के कारण भारत संघ की राजभाषा बनी। किंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या हिंदी अपने इस सरल और स्वाभाविक स्वरूप को स्थिर रखते हुए सरकारी काम-काज के लिए लोकप्रिय हो सकी। यह सच है कि आज सरकारी कार्यालयों में जो भी हिंदी का प्रयोग देखने को मिलता है, वह प्रायः अनुवाद के माध्यम से ही हो रहा है। इसलिए

आज राजभाषा मात्र अनुवाद की भाषा बनकर रह गई है। यह मूल रूप से प्रयोग की भाषा नहीं बन पाई। दूसरे, राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के चलते केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में द्विभाषिक स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें अनुवाद की व्यवस्था अनिवार्य है।

अनुवाद कि इस भाषा के कारण कई बार यह सुनने को मिलता है कि हिंदी परिपत्रों, फार्मों और इशतिहारों की भाषा समझ में नहीं आती और अंग्रेजी पाठ को देखना पड़ता है। फिर, आदेश और परिपत्र किसके लिए हैं? इससे ऐसे परिपत्रों को हिंदी में जारी करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि जिसे अंग्रेजी न समझ आए, वह इसे हिंदी में पढ़ लें। इसी में हिंदी की सार्थकता है। हिंदी की लोकप्रियता गिरने का बहुत कुछ कारण अनुवाद का ऐसा स्तर ही है। इसे आज के संदर्भ में कहें तो हम हिंदी का सही मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। फिर ऐसी हिंदी को कौन अपनाना चाहेगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि सरल भाषा क्या है ?

सामान्यतः यह कहा जाता है कि जिस भाषा में उर्दू-फारसी के शब्द अधिक हों, वही भाषा सरल है। किंतु यह बात सही नहीं है। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के लोगों के लिए संस्कृत के शब्द उर्दू शब्दों की अपेक्षा अधिक सरल हैं, जबकि पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उर्दू-फारसी बहुल हिंदी अधिक सरल लगती है। इस प्रकार सरलता एक सापेक्षिक शब्द है। आवश्यकता



इस बात की है कि अनुवाद की भाषा कृत्रिम और बोझिल न हो। इसे सप्रयास विलिख और दुरुह न बनाई जाए। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर ने ठीक ही कहा है कि भाषा न कभी कठिन होती है, न सरल, वह सहज या असहज होती है। जो शब्द जबान पर चढ़ चुके हैं, चाहे वे किसी भी भाषा के हों, उन्हें रहने दिया जाए। शुद्धिकरण की भावना भाषा के विकास को रोकती है। भाषा के संबंध में संत कबीर ने ठीक ही कहा है – भाषा बहता नीर। इसके अजासु प्रवाह के लिए जहां से भी शब्द आएँ उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की जितनी अधिक क्षमता होगी वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध और सशक्त होगी। अंग्रेजी की व्यापकता और लोकप्रियता का भी यही कारण है। आज के कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में नए शब्द अंतराष्ट्रीय धरोहर हैं। संसार की सभी भाषाएं इन्हें बेझिझक अपना रही हैं।

जहाँ तक कार्यालयी अनुवाद के सरलीकरण का प्रश्न है, इसके मार्ग के कुछ बाधाएं हो सकती हैं, जिन पर पार पाया जा सकता है। यदि हम अपने देश की राजभाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करें तो हम देखेंगे कि यहाँ विदेशी आक्रमण के कारण विदेशी भाषाएं भी आईं। सिंकदर लोधी के शासन में भी एक ऐसा ही फरमान जारी हुआ और फारसी को राजभाषा बना दिया गया। अकबर के शासन में भी एक ऐसा ही फरमान फारसी के लिए पुनः जारी हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी को राजभाषा बना दिया जो स्वतंत्रता के बाद भी किसी न किसी प्रकार आज भी प्रचलित ही नहीं, अत्यधिक प्रचलित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन विदेशी भाषाओं के कारण हिंदी में अनेक शब्द घुल-मिल गए हैं। कार्यालयी अनुवाद करते समय हमें प्रचलित शब्दों के साथ अधिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे

हमने फाइल, इंजीनियर, रेलवे, रेडियो, कंप्यूटर जैसे शब्दों को अपना लिया है, इनके स्थान पर नए शब्द लाने की क्या आवश्यकता है ?

अंत में कार्यालयी अनुवाद के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि यदि अनुवाद सांविधिक प्रकृति का नहीं है तो उसे सरल और प्रचलित भाषा में किया जाए। अनुवादक को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी भाषा का सृजक है। उसकी लिखी भाषा कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसका भी प्रयोग होगा। अनुवादक को स्रोत भाषा के भावों को अपनी भाषा में व्यक्त करना है। भाषा में स्वाभाविकता बनाए रखना अनुवादक का पहला कर्तव्य है, ताकि वह ऐसी न लगे कि यह कोई अनुवाद है। हिंदी में प्रयायों की कमी नहीं है। संदर्भ को देखते हुए सरल और उपयुक्त शब्दों का चयन किया जाए। अनुवाद में पांडित्य प्रदर्शन के लिए कठिन और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। अनुवादक के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसे इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि यह अनुवाद किसके लिए है, उसी के उपयुक्त भाषा का उपयोग करना चाहिए। अनुवाद कभी भी स्वांतः सुखाय नहीं होना चाहिए।

हिंदी का प्रचार-प्रसार और उसका लागू होना देशहित का विषय है और जब बात देशहित की हो तो हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद के दलदल में नहीं फंसना चाहिए और हमारी विचारधारा न तो वामपंथी होनी चाहिए और न दक्षिण पंथी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोकपंथी अर्थात् भारत पंथी होनी चाहिए। गौरतलब है कि –“मन में होगी जब निष्ठा, हिंदी की बढ़ेगी तब प्रतिष्ठा”।

**अ आ ई उ ऊ ऋ ए
क का एव एवा ग गा
घ षा ङ ङ च चा छ छा**



राजभाषा की शान है हिन्दी

‘भारतीय भाषाओं के ‘शान’ है हिन्दी,
लिपि जिसकी देवनागरी ‘बिन्दी’ ।।
“ 14 सितंबर” पावन पर्व है इसका,
संरक्षक है हमारा संविधान जिसका ।।

धारा 351 है ‘खाद’ इसकी,
‘राजभाषा नियम’ है जान जिसकी ।
नियम 5 का पालन करना,
हिन्दी में ही पत्रों का उत्तर देना ।।

नियम 10 अनकम्पा से शान लेना,
भारत की आत्मा है हिन्दी यह जान लेना ।।

धारा 3(3) का पालन करना सदा,
संकल्प आदेश, नियम द्विभाषी जारी करना सर्वदा ।।

आपसी समरस, तालमेल बढ़ेगा हिन्दी से,
भारतीयता का अहसास रहेगा हिन्दी से ।।
संपर्क भाषा के रूप में बढ़ेगा प्रेम इससे,
जनमानस की सेवा शाश्वत रहेगा जिससे ।।

कुलकर्णी रामचन्द्र भीमराव
(भूतपूर्व आरमोरर 81 बटालियन)

एकता का वरदान

हिंदी भावों की चंदन है
हर रिश्ते की बंधन है
गाँधी की लाठी है
गाँवों की महकती माटी है
सूर्योदय की लाली है
त्योहारों की ईद और दीवाली है ।

सीमाओं पर प्रहरी की थाती है
घरों में उजाले की बाती है
बिटिया की विदाई की आँसू है
सरगम की जादू है
दुल्हन के श्रृंगार की बिन्दी है
स्वाद में वासुन्दी है ।

स्वरचित – निरी.(हिं. अनु.) नागराज द्विवेदी
गलियों की चौराहा है
झरने की कल-कल करती धारा है
ऋतुओं की बसंत है
सावन की घटाओं की उमंग है
कोयल की मिठास है
हर उम्र के प्यार की एहसास है ।

आजादी की ज्वाला है
बहुसंख्यी फूलों की माला है
गुरुवाणी, अजान और पूजा की भक्ति है
जन-जन की शक्ति है,
हिन्दुस्तान की जुबान है
हमारी एकता का वरदान है ।



सरकारी कामकाज में हिंदी

— निरी. (हिं. अनु) संतोष कुमार
गुप केन्द्र, पूणे

सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग प्रेरणा और प्रोत्साहन के तहत बढ़ाया जा सकता है। इस कार्य हेतु सरकार कई प्रोत्साहन योजनाएं चला रही हैं। मसलन वार्षिक प्रोत्साहन योजना, हिंदी पखवाड़े के दौरान विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, पुरस्कार व मानदेय आदि का प्रावधान किया गया है। इन्हें आगे बढ़ाने के प्रति हमें वफादार बनाना होगा। हिंदी बहुत ही सरल है, क्योंकि इसे पढ़ना आसान और लिखना भी आसान है। आवश्यकता है केवल इसे प्रारम्भ करने की। सभी लोगों के समग्र प्रयासों से ही इसकी उन्नति हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 343 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। आज जितनी उन्नति होनी चाहिए थी उतनी अभी तक नहीं हो पायी है, जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हमें यह धारणा बनानी होगी कि हम अधिक से अधिक काम हिंदी में करेंगे। ऐसे कार्यों में यदि दिक्कतें आती हैं तो निस्संकोच हिंदी अनुवादकों की मदद ली जा सकती है। आज के युग में लोग अच्छी नौकरियों की चाह में अंग्रेजी की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो कि स्वभाविक भी है, परन्तु हिंदी से गुरेज क्यों? कुछ लोग हिंदी जानते हुए भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं और अंग्रेजी को अपनी शान समझते हैं। हम सभी को हिंदी के विकास के लिए तत्पर रहना होगा। देश के किसी भी कोने में चले जाइए आपको हिंदी सभी जगह मिलेगी। आप अपनी बात हिंदी में करते हैं, अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति भी हिंदी में बड़ी आसानी से करते हैं तो फिर हिंदी में काम करने से क्यों कतराते हैं? कार्यालयों में अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें।

युग बदल गया है और कम्प्यूटर/इन्टरनेट का

जमाना है। कम्प्यूटरों पर भी अब हिंदी में आसानी से काम किया जा सकता है। कई हिंदी के साफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप अपने कार्यों को हिंदी में आसानी से कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो अपनी मानसिकता को बदलने की। हम सभी को हिंदी भाषा के महत्व को समझना होगा। भाषा के माध्यम से आपसी पहचान बनती है जिसके माध्यम से अपने समाज और संस्कृति की पहचान मिलती है। फिर क्यों हम इसे अपनाने में कतराते हैं। हिंदी कार्यशालाओं, विविध बैठकों, कार्यक्रमों में अधिकारियों के द्वारा राजभाषा के महत्व को बताते रहना चाहिए तथा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हिंदी भाषा एक संपर्क भाषा के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। हमें इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है कि पूरे राष्ट्र को इसी भाषा ने ही एक सूत्र में बांधे रखा है। इतना ही नहीं विश्व के अनेक देशों में इसका प्रयोग होता है और वहां के लोग भारत में आकर हिंदी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ताकि यहां की संस्कृति को भली प्रकार से जान सकें।

हिंदी एक सरल और जीवंत भाषा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पास विपुल शब्द भंडार है। भाषा से राष्ट्र की एकता मजबूत होती है। हिंदी भाषा भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है। आप यह देखिए कि हमारे संस्थानों में अलग-अलग प्रान्तों के लागू सेवारत होने के बावजूद भी उन्हें आपस में बांधे रखने का काम यही हिंदी भाषा कर रही है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। अंत में यही अनुरोध करूंगा कि अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी का ही प्रयोग करें, क्योंकि यह अत्यंत सहज सरल है।



हिंदी भाषा और कंप्यूटर

— निरी. (हिं.अनु.) संजय कुमार झा
झारखंड सेक्टर, राँची

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का है। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी साधनों यथा टेलीफोन, इन्टरनेट, कंप्यूटर एवं संचार माध्यमों ने भौगोलिक सीमाओं को खत्म करते हुए दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संचार माध्यमों में कंप्यूटर संचार अत्यन्त प्रभावी व महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में विश्व के लगभग प्रत्येक देश में बड़ी संख्या में वहां के नागरिक कंप्यूटर व इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं।

भारत में सबसे प्रमुख भाषा हिंदी है जो कि देश के बड़े भूभाग में प्रचलित है तथा अधिकांश भारतीयों द्वारा अपने सामान्य कामकाज व विचारों के आदान-प्रदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है सहजता, सरलता व संप्रेषणयता जैसे प्रभावी गुणों के कारण हिंदी को देश में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

हालांकि कंप्यूटर पर अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व रहा है तदापि भिन्न-भिन्न भाषाओं के सॉफ्टवेयर बनने से अंग्रेजी के समानांतर इन देशीय/क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग बढ़ा है। दूसरी तरफ हिंदी भाषा के प्रोग्राम एवं सॉफ्टवेयर बनने से कंप्यूटर पर हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। इससे निसंदेह हिंदी भाषा को बढ़ावा मिला है।

विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कंप्यूटर संचार प्रणाली कार्यरत है। हिंदी मीडिया में कंप्यूटर सूचना तंत्र को गतिमान किया है। इंटरनेट और सायबर युग में कंप्यूटर संचार प्रणाली के द्वारा हिंदी भाषा का विकास हो रहा है और वैश्वीकरण के युग में विश्व की दूसरी बड़ी भाषा हिंदी है।

70 करोड़ से अधिक हिंदी भाषियों के लिए कम्प्यूटर को और अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से कंप्यूटर कंपनियों ने अपना ध्यान इस ओर केंद्रित किया है। जैसे सीडैक पूणे, आर.के. कंप्यूटर रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली, ए.सी.ई.एस. बेंगलोर, आई.आई.टी. कानपुर आदि संस्थानों में हिंदी को कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा बनाने हेतु पैकेज विकसित किए हैं। साथ ही कंप्यूटर नेटवर्क का हिंदी भाषा और हिंदी के अलग-अलग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए इस्तेमाल होने लगा है। देश की किसी भी भाषा का अनुवाद हिंदी में

करने की तकनीक से नई सूचना क्रांति आई है। इससे हिंदी भाषा में सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव हो सका है। इस तरह हिंदी भाषी लोगों द्वारा ई-मेल से सूचना का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में कंप्यूटर की विशेष भूमिका रही है। अब हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त कंप्यूटर बनाये जा रहे हैं। देवनागरी लिपि में भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित किये गये हैं। कंप्यूटर सूचना क्रांति के आविष्कार से हिंदी पत्रिकारिता को भी लाभ पहुँचा है। अब ई-मेल और मोबाइल संचार प्रक्रिया द्वारा हिंदी साहित्य का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है लोगों द्वारा कम्प्यूटर संचार प्रणाली का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर संचार के माध्यम से लोगों में अभिरूची पैदा करने के लिए हिंदी भाषा का स्थान महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का कंप्यूटर की दुनिया में उज्ज्वल भविष्य है।



देवनागरी हिंदी में विराम चिह्नों का प्रयोग

— श्री दीपक मेहरा, उप कमान्डेंट
गुप केन्द्र-1अजमेर

हमारे देश को आजाद हुए 67 वर्ष बीत चुके हैं एवं निःसंदेह इन 67 वर्षों में देवनागरी हिंदी ने भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महत्ता सिद्ध की है और यह सतत प्रगति की ओर अग्रसर है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी राजभाषा देवनागरी हिंदी है और केन्द्र सरकार के साथ-साथ अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर सरकारी कामकाज का माध्यम बनाया गया है राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयोजन हों या जन समूह को संबोधित किए जाने वाले व्याख्यान सभी का माध्यम हिंदी ही है। अतः हिंदी भाषा को बोलने, लिखने एवं प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी बनती है वे इस भाषा के उच्चारण एवं लेखन में विराम आदि

चिह्नों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें। हमारे बल के अधिकांश सदस्यों द्वारा हिंदी लिखते समय विराम चिह्नों आदि के प्रयोग में अक्सर या तो त्रुटि की जाती है अथवा इनके प्रयोग को वे अनावश्यक मानते हैं। इस संबंध में मेरा मत है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति विशेष के सौंदर्य में उसकी शारीरिक बनावट, श्रृंगार आदि का योगदान होता है, उसी प्रकार हिंदी भाषा के स्वरूप को निखारने में इन विराम चिह्नों का अनुपम योगदान होता है।

अतः मैं इस लेख के माध्यम से पाठकों को हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिह्नों के बारे में बताना चाहता हूँ कि किसी चिह्न विशेष को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है एवं उनका प्रयोग

किया प्रकार किया जाता है। यहां हिंदी भाषा में आम तौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले विराम चिह्नों के अंग्रेजी नाम व प्रयोग भी दर्शाए हैं ताकि पाठकों को इन्हें समझने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

क्र.	विराम चिह्न	हिंदी नाम	अंग्रेजी नाम	प्रयोग
1	।	पूर्ण विराम	Full Stop (.)	वाक्य के समाप्त होने की सूचना, जैसे सार्थक आता है।
2	,	अल्प विराम	Comma (,)	1. वाक्य, वाक्यांश में तीन या अधिक शब्दों को पृथक करने में, जैसे अजमेर, जयपुर, दौसा आदि 2. समान पदबंधों, उपवाक्यों को पृथक करने हेतु, जैसे क) अजमेर स्थितपुष्कर, दरगाह एवं नारेली तीर्थ आदि रमणीय है। ख) वह आता है, काम करता है और लौट जाता है 3. सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों में हां या नहीं के बाद, जैसे— हां, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं आने में असमर्थ हूँ। 4. संबोधन में शब्द के उच्चारण के बाद क्षण भर रुकने में जैसे — नमस्कार, भइयों और बहानों, आप यहां पधारें, उसके लिए, धन्यवाद।



3	\	प्रश्न चिह्न	फनमेजपवद डंता	प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में, जैसे आप कैसे हो ?
4	!	विस्मयसूचक	Exclamation	विस्मय, हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने में जैसे-हाय! बेचारा समाया गया !
5	:	उपविराम या अपूर्ण विराम	Colon	1. आगे आने वाली सूची आदि के पूर्व में, जैसे रमेश के तीन पुत्र हैं : राम, याम एवं लक्ष्मण। 2. संख्याओं के अनुपात दर्शाने में, जैसे 1:2 आदि। 3. नाटक/एकांकी में पात्रों द्वारा कथन कहने में, जैसे-पुत्र : पिताजी, मैं दोषी नहीं हूँ। 4. स्थान/समय आदि की सूचना हेतु, जैसे-स्थान:मनोरंजन कथ, समय : सांयकाल 3 बजे, प्रा: 08:00 बजे।
6	;	अर्ध विराम	Semi Colon	1. छोटे-छोटे दो या अधिक वाक्यों की श्रृंखला में जो परस्पर आश्रित हों, जैसे-विद्या विनय से आती है; विनय से पात्रता। 2. अंकों के विवरण देने में – जैसे भारत-210; जापान-205।
7	'	ऊर्ध्व अल्पविराम	Apostrophe	ऊर्ध्व अल्पविराम का प्रयोग अंग्रेजी के अपॉस्ट्रॉफी के लिए किया जाता है। हिंदी में यह "अंक लोप" के चिह्न तात्र का सूचक है। जैसे- सन् 1947 से 1950 तक को सन् '47 से सन् '50 तक लिखेंगे।

राजभाषा : महत्वपूर्ण जानकारी

— निरी.(हिं. अनु.) संतोष
गुप केन्द्र, पूणे

- प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, दूसरा मारीशस तथा तीसरा नई दिल्ली में हुआ था।
- फ्रांस दूसरा बड़ा देश है, जहां हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।
- दक्षिण, भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में सन् 1927 में हुई
- दक्षिण में हिंदी का आगमन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सन् 1926 के आक्रमण के बाद शुरू हुआ।
- 'तारिक फरिश्ता' नामक पुस्तक के अनुसार बीजापुर और गोलकुण्डा के बहमनी साम्राज्य की राजभाषा हिंदी थी।
- देवनागरी टाइप अक्षर सर्वप्रथम सन् 1967 में यूरोप में तैयार किए गए।
- संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप 0,1,2,3,4,5 प्रयोग में लाया जाता है।
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं।
- राजभाषा अधिनियम सन् 1963 में बनाए गए।
- राजभाषा नियम सन् 1976 में बनाए गए।

राष्ट्रभाषा-राष्ट्र की पहचान

— निरी.(हि.अनु.) जितेन्द्र सिंह
ग्रुप केन्द्र, अमेठी

“संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्”
(ऋग्वेद) — प्राचीन ऋषियों का यह उद्घोष सदा
से भारतीय भाषाओं की जीवनी शक्ति रहा है। इन्हीं
भाषाओं में से एक हिंदी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से
जुड़कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। इसके

तो यहां तक कहा कि “राष्ट्रभाषा के अभाव में देश
गूंगा है,” इसीलिए उन्होंने देश की स्वतंत्रता तथा
उसके उत्थान के लिए जो अनेक रचनात्मक काम हाथ
में लिए — उनमें से एक काम हिंदी के प्रचार-प्रसार

हिन्दी हमारी मातृभाषा है

हिन्दी दिवस की
हार्दिक
शुभकामनायें



माध्यम से समय-समय पर मानवीय शोषण के विरुद्ध
आवाज उठाई जाती रही। इस भाषा ने सबको साथ
लेकर, मिल-जुलकर प्रगति करने की भावना सबके
मन में जगाई। आज हिंदी विश्व-बंधुत्व की भावना
फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है।

भारत जैसे विशाल देश की विविधता को एक सूत्र
में बांधने के लिए एक ऐसी भाषा होने चाहिए, जिसको
अधिक से अधिक व्यक्ति समझ सकें, बोल सकें और
पढ़-लिख सकें। स्वाधीनता से पूर्व अनेक भारतीय
मनीषियों और चिंतकों ने भारत जैसे महात्मा गांधी ने

का काम था।

आज विश्व स्तर पर जो विकास हुआ है उसका
सबसे महत्वपूर्ण अंग बोली और भाषा है। प्रत्येक क्षेत्र
में वैज्ञानिक अपनी-अपनी बुद्धि, ज्ञान और विवेक
के आधार पर नित-नए अनुसंधान तथा शोध कार्य
कर रहे हैं। चूँकि प्रत्येक मनुष्य की कोई न कोई
भाषा अवश्य होती है, अतः समाज हित में नए-नए
अनुसंधानों को विश्व में संचारित किया जाता है। आज
संचार और प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के कारण संपूर्ण



विश्व हमारे निकट है। हम विश्व में घटित सभी प्रकार की घटनाओं को अपने ड्राइंग रूम में बैठकर देख सकते हैं, बात कर सकते हैं और 24 घंटे विश्व के सभी शहरों की खोज खबर रख सकते हैं। यदि मनुष्य की कोई बोली नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती – तो उसको गूंगा कहते और गूंगा व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान, ज्ञानी क्यों न हो, किन्तु बोली के बिना उसका जीवन अंधकारमय ही होता।

मनुष्य की पहचान भाषा से ही होती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 3448 बोलियाँ और 1652 भाषाएँ प्रचलित हैं और मान्यता के अनुसार भारत में प्रत्येक दो कोस पर भाषा तथा तीन कोस पर पानी बदल जाता है। इसीलिए हम रेल या बस में यात्रा करते समय अपने पास बैठे व्यक्ति को पहचानते नहीं हैं किन्तु उसकी भाषा और बोली के अंदाज से पहचान लेते हैं कि वह पास बैठा व्यक्ति किस प्रान्त का है कि वह किस देश या क्षेत्र का है और साथ ही उसके समाज व स्थिति इत्यादि का भी पता चलता है।

देश की संस्कृति का वहाँ की भाषा से गहरा संबंध होता है और उसके साहित्य में वहाँ की संस्कृति की गहरी झलक मिलती है। अतः भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध है। मैडलवान के अनुसार—“प्रत्येक संस्कृति का सार—तत्त्व उसकी भाषा में अभिव्यक्ति पा सकता है और पाया करता है।” भाषा न केवल संस्कृति का अभिभाज्य अंग है, अपितु उसकी कुंजी भी है। भाषा के बिना यदि संस्कृति पंगु है, तो संस्कृति के अभाव में भाषा भारतीय संस्कृति में उसकी उदारता और सहिष्णुता समस्त वसुधा को एक कुटुम्ब मानने में निहित है। सत्य की खोज इसका चरम लक्ष्य रहा है, भारतीय संस्कृत विरोधों समुद्र की तरह विशाल और असत्य में सत्य को ढूँढती है। वह गंगा के समान निरंतर प्रवाहमान, समुद्र की तरह विशाल और गंभीर तथा

गिरिशिखरों की तरह उदान्त है। वह विधा—अविधा, श्रेय—प्रेय, अभ्युदय, निश्रेयस सभी को आत्मसात् करती हुई विश्व के कोने—कोने को देदीप्यमान करती आ रही है। हिंदी संस्कृतनिष्ठ होने के साथ—साथ उदारता, सरलता, बोधगम्यता एवं व्याकरण में अव्वल है। इसके साहित्य में नवरस की गंगा प्रवाहित होती है। सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का जिस खूबी के साथ वर्णन किया है, उसने एक नये “वात्सलय रस” को जन्म दिया है। हिंदी की मिठास सबको प्रभावित करती है, जो हिंदी बोलता है उसको तथा जिसके लिए बोली जाती है, उसको भी प्रभावित करती है। यह संस्कृतनिष्ठ हिंदी की ही श्रेष्ठता है कि अतिथि को देवता के रूप में मानती है — अतिथि देवो भव। दूसरों के साथ आदर से पेश आना इसका स्वभाव है, यह गुण अन्य भाषाओं में नहीं है। माताजी, पिताजी, दादाजी, चाचाजी, चाचीजी, नानाजी, नानीजी, बुआ जी और मौसी जी, भाई सहाब, बहनजी आदि संबंधियों के लिए आदरसूचक शब्द शायद अन्य भाषा में ही मिलें। माताजी और पिताजी में बच्चों की आत्मीयता की झलक देखने को मिलती है और यह संबंध कभी नहीं टूटता है।

हिंदी का एक दीर्घकालीन इतिहास है, इसलिए यदि हम कहें कि हिंदी एक प्राकृतिक भाषा है या देवभाषा है — तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निःसंदेह हिंदी एक सक्षम, समृद्ध भाषा है और इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को समाहित करने की क्षमता है। इसकी देवनागरी लिपि निर्दोष, सर्वगुण संपन्न और भारत की राष्ट्रलिपि होने की समस्त योग्यताएं रखती है। आशुलिपि के आविष्कारक आइजक पिटमैन ने देवनागरी के बारे में कहा है कि —“संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी लिपि है।”



हिन्दी पत्रों में प्रायः प्रयोग की जाने वाली अशुद्धियों का निवारण

— निरी.(हिंदी अनु.) राकेश कुमार
गु.के.1 अजमेर

केरिपुबल के विभिन्न कार्यालयों में सरकारी कामकाज के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी भाषा एवं कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्रों आदि में अक्सर कुछ अशुद्धि या दृष्टिगोचर होती हैं। प्रायः प्रयोग में लाई जाने वाली इस प्रकार की अशुद्धियां आवेदन लिखने वाले व्यक्ति के हिंदी भाषा, व्याकरण एवं वर्तनी के ज्ञान को दर्शाती हैं। कुछ मामलों में, बल के सदस्यों द्वारा लिखी जाने वाली भाषा में क्षेत्रीयता का पुट झलकता है तो कुछ मामलों में वर्तनी प्रयोग के प्रति उपेक्षा एवं “सब चलता है” का दृष्टिकोण इन अशुद्धियों को जन्म देता है। आपने यह महसूस किया होगा कि कुछ कार्मिक उनके बोलने एवं लिखने के लहजे में “वी.क्यू.एस.” शब्द के स्थान पर “भी.क्यू.एस.” एवं “महावीर” नाम की जगह “महाबीर” शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ कार्मिकों द्वारा शब्दों के प्रयोग में छोटी इ, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा ऊ, कि या की शब्दों आदि का प्रयोग में हिंदी भाषागत नियमों के जाने के अभाव में गलत शब्द या वर्तनी आदि का प्रयोग किया जाता है। अतः बल के सुधि सदस्यों एवं पाठकों से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि वे सरकारी कामकाज के दौरान प्रयोग किए जाने वाले कुछ आम शब्दों के अशुद्ध रूप के साथ उनके शुद्ध रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य मात्र यही है कि पाठक इन अशुद्धियों के बारे में जानने के बाद इनका सही प्रयोग करें।

गलत शब्द	सही शब्द	गलत शब्द	सही शब्द
रिपोर्ट	रिपोर्ट	पुनर्स्थापना	पुनर्स्थापना
केन्द्रिय	केन्द्रीय	निमार्ण	निर्माण
रिजर्व	रिजर्व	अनुयाई	अनुयायी

गलत शब्द	सही शब्द	गलत शब्द	सही शब्द
उपलक्ष	उपलक्ष्य	स्थाई	स्थायी
ग्रह निवास	गृह निवास	छमता	क्षमता
अपरान्ह	अपराह्न	पैत्रिक	पैतृक
पूर्वान्ह	पूर्वाह्न	तइयार	तैयार
भूगोलिक	भौगोलिक	इतिहासिक	ऐतिहासिक
निरस	नीरस	अन्तरगत	अन्तर्गत
अनुगृह	अनुग्रह	अलोकित	अलौकिक
गलत शब्द	सही शब्द	गलत शब्द	सही शब्द
अन्धेरा	अँधेरा	परिस्थिती	परिस्थिति
आयू	आयु	अर्थात	अर्थात्
अकस्मात	अकस्मात्	अक्षुण्य	अक्षुण्ण
अहार	आहार	उज्वल	उज्ज्वल
आदेस	आदेश	उदहारण	उदाहरण
एच्छिक	ऐच्छिक	शारीरिक	शारीरिक
उतरोत्तर	उत्तरोत्तर	वपिस	वापस
उलंघन	उल्लंघन	वान्छनीय	वांछनीय
ओचित्य	औचित्य	महत्व	महत्त्व
आशीर्वचन	आशीर्वाचन	भाषाई	भाषायी
डोक्टर	डॉक्टर	प्रतीलिपी	प्रतिलिपि
कोलेज	कॉलेज	तिथी	तिथि
कोसिस	कोशिश	चिन्ह	चिह्न
ब्यवहार	व्यवहार	सारांस	सारांश
पाणी	पानी	शाषकीय	शासकीय
गणमान्य	गण्यमान्य	श्रीमति	श्रीमती
घन्टा	घण्टा	विसराम	विश्राम
चाहिये	चाहिए	तत्वाधान	तत्वावधान
तदोपरान्त	तदुपरांत	तदानुसार	तदनुसार
उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण



हिन्दी राष्ट्र का गौरव

निरीक्षक (हिं.अनु.) दीपक सक्सेना
ग्रुप केन्द्र, नीमच

हिन्दी भाषा विश्व की प्राचीनतम सभ्यता से जन्मी भाषा है। आज यह विश्व की समृद्ध भाषाओं में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। हिन्दी का अतीत बहुत गौरवशाली रहा है और इसका साहित्य अद्वितीय पहचान रखता है। प्राचीन पाण्डुलिपियों से इन्टरनेट पर नई पहचान बनाने तक हिंदी भाषा नित्य नए परिवर्तनों के कई पड़ावों से गुजरी है। वाकई वो हस्तियां महान थीं जिन्होंने हिन्दी को विश्व में अनूठी पहचान कायम करने के योग्य बनाया और हिन्दी भाषा को न केवल बदलते परिवेश के अनुसार समृद्ध किया, वरन इसकी साहित्यिक सम्पदा को बढ़ाने में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

दरअसल हिन्दी भाषा की इस यात्रा का आरम्भ वैदिक संस्कृत युग से ही आरम्भ हो गया था। वैदिक संस्कृत मूलतया आर्य भाषाओं का ही प्राचीनतम रूप थी। वैदिक संस्कृत तत्कालीन साहित्य की लोकप्रिय भाषा थी। हमारे वेद, संहिता, उपनिषदों और वेदांतों की रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले इसी वैदिक भाषा में हुई थी। उस समय बोलचाल की भाषा भी संस्कृत ही थी। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषाओं से ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में ही की गई थी। संस्कृत के प्रयोग को शिखर तक पहुंचाने में महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, कालीदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, भवभूति, विशाख, मम्मट, दंडी और श्रीहर्ष जैसी विभूतियों का महान योगदान रहा। इनका साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्यों में से एक था और आज भी सम्पूर्ण विश्व में यह साहित्य

अपनी अलग पहचान रखता है। संस्कृतकालीन युग में काम आने वाली बोलचाल की भाषा ने 500 ईसा पूर्व के बाद तक एक नया रूप ले लिया था, जिसे “पाली” कहा गया। महात्मा बुद्ध के समय “पाली” ही जन-जन की भाषा हुआ करती थी और उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार-प्रसार इसी भाषा में किया था। पहली ईसवी के आते-आते “पाली” में और बदलाव हुए तथा इसने “प्राकृत” भाषा का रूप ले लिया। “प्राकृत” की उप-भाषाएं पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमोत्तरी तथा मध्य के देशों में साहित्यिक भाषाओं के रूप में समृद्ध होती रहीं, जिन्हें प्रमुख रूप से मगधी, शौरसैनी, महाराष्ट्री, पैशाची, प्राचंड तथा अर्धमगधी के रूप में जाना गया। इसके बाद 500 से 1000 ईसवी के बीच प्राकृत भाषाओं के क्षेत्रीय रूपों से “अपभ्रंश” भाषाएं बनीं। 1000 ईसवी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। हिन्दी मूलतया यहीं से जन्मी है। अपने उद्भव के बाद से ही हिन्दी निरंतर विकसित होती गई और लगभग 1150 ईसवी के बाद इसमें साहित्य की रचना आरंभ हो गई और फिर तत्कालीन विश्व की भाषाओं के शब्दों व रूपों को आत्मसात् करते-करते हिन्दी एक समृद्ध भाषा के रूप में उभर कर सामने आई।

विश्व की प्राचीनतम एवं महान भारतीय सभ्यता से उत्पन्न इस समृद्ध एवं लोकप्रिय भाषा को स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार कर लिया। पिछली दो शताब्दियों में आजाद भारत के पुनर्जागरण की प्रक्रिया में अंग्रेजी भाषा के सह-अस्तित्व से बने द्विभाषी माहौल में भी हिन्दी भाषा अपनी अनूठी प्रकृति के साथ अग्रणी बन कर निखरती रही और इसका

साहित्य व शब्दकोश नित्य नए प्रयोगों से समृद्ध होते रहे।

आज हिंदी भाषा को चीनी भाषा के बाद विश्व भर में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का सम्मान प्राप्त है। हिन्दी की 100 से भी ज्यादा बोलियां हैं। इसके शब्दकोश को परशियन, फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों ने समृद्ध बनाया है। हिन्दी के कई शब्दों को अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में सम्मानजनक स्थान मिल चुका है। इतना ही नहीं भारत के अलावा आज हिन्दी न केवल पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे दक्षिण एशियाई देशों में बल्कि, दक्षिण अफ्रिका, मॉरिशिस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, त्रिनिदाद, फिजी, सुरिनाम, गुयाना, यमन, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, मलेशिया और सिंगापुर में बहुलता से इस्तेमाल की जाती है।

भारतीय सभ्यता की यह अनमोल देन अन्य सभ्यताओं, भाषाओं और संस्कृतियों के शब्दों व लहजे को आत्मसात् करते हुए आज विश्व की एक समृद्ध और प्रतिष्ठित भाषा बन चुकी है। परम्परागत साहित्य की अनेकों विधाओं को अपने साथ समेटे हुए हिन्दी अब जन-जन की भाषा हो चली है। आजादी के बाद राजभाषा का दर्जा पाकर हिन्दी ने प्रयोग व प्रचार के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अब यह राजकाज के अलावा विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, चिकित्सा, अर्थ-व्यवस्था, प्रकाशन एवं दृश्य-श्रव्य संचार माध्यमों तथा मनोरंजन और खेल



जगत में हर तरफ प्रचुरता से इस्तेमाल की जा रही है। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार और साहित्य का विकास अनवरत रूप से जारी रहा है और अपनी प्रयोगात्मकता के साथ यह जीवन के हर क्षेत्र में अपना मुकाम कायम करती जा रही है।

गौरव की बात ही है विश्व की अन्य समृद्ध भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी इन्टरनेट पर भी अपनी पहचान बना चुकी है और विश्व भर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज हिन्दी अपने गौरवशाली अतीत, समृद्ध साहित्य और आधुनिक परिवेश में नई पहचान के साथ विश्व की समृद्ध भाषाओं के बीच एक सम्मानजनक स्थान हासिल कर चुकी है और नित्य-नए कीर्तिमान स्थापित करने को आतुर है। प्राचीनतम महान सभ्यताओं से जन्मी यह भाषा आज राष्ट्र का गौरव है। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि “जिस देश को अपनी भाषा के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता।” तो आईए राजभाषा हिन्दी के गौरव को जानें और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देकर गौरवान्वित महसूस करते हुए अपना राष्ट्र-धर्म निभाएं।

जय हिन्दी, जय हिन्दुस्तान.....

काम करो ऐसा कि पहचान बन जाये,
हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाये,
यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते है,
जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाये।



कार्यालयाध्यक्ष एवं राजभाषा कार्यान्वयन

मंगत राम नरवाल

निरी. (हिं.अनु.) उत्तरी सेक्टर

दिनांक 18 जनवरी, 1968 को भारत की संसद के दोनों सदनों ने राजभाषा संकल्प लिया, जिसमें यह भावना व्यक्त की गई कि "यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाले प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी.....।" स्पष्ट है कि हमारे कानून-निर्माताओं की यह कामना रही होगी कि राजभाषा हिंदी का पूरे देश में अधिक-से-अधिक प्रसार और विकास हो। संसद की इस भावना और अन्य सांविधानिक दायित्वों के मद्देनजर भारत सरकार भरपूर प्रयास कर रही है कि हिंदी का व्यापक प्रचार और प्रसार हो। इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम भी बनाया जाता है सभी मंत्रालयों, विभागों एवं अन्य संस्थाओं को जारी किया जाता है।

हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संविधान में भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए राजभाषा अधिनियम, नियम बनाए गए हैं, राष्ट्रपति जी के आदेश एवं विनियामक आदेश जारी किए गए हैं। हिंदी के विकास पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण आदि के लिए एक संसदीय समिति का गठन भी किया जाता है। संघ सरकार के अधीन कार्य करने वाले सभी विभागों, बैंकों, निकायों आदि से हिंदी के प्रसार और विकास संबंधी रिपोर्टें मंगवाई जाती हैं और विश्लेषण भी किया जाता है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए न केवल कई नियम बनाए गए हैं, अपितु कई

प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई हैं। हिंदी न जानने वाले कार्मियों को सरकारी खर्च पर हिंदी भाषा, टंकण और आशुलिपि का सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण दिलाया जाता है। न केवल ये प्रशिक्षण सरकारी खर्च पर चलाए जाते हैं, अपितु इनको अच्छे अंको से पास करने पर नगद पुरस्कार और वेतन भत्तों में वार्षिक वृद्धि भी दी जाती है। हिंदी डायरियां बनाने पर अच्छा-खासा पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी पखवाड़े/हिंदी सप्ताह/हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। इस दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं और इसके विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जाता है।

यह सब स्पष्ट करने का अभिप्राय यही है कि राजभाषा हिंदी के विस्तार और उन्नति के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारे कानून-निर्माताओं की हिंदी को बढ़ावा देने की कामना और सरकार द्वारा इसके लिए किए जा रहे प्रयास स्वाभाविक एवं अनिवार्य भी हैं, क्योंकि हिंदी को बढ़ावा देना केवल एक भाषा को बढ़ावा देना ही नहीं है, अपितु देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना और इसे मज़बूत करने के लिए यह आवश्यक है।

भारत एक विशाल एवं बहुभाषी देश है और यहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। चूंकि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा पर गर्व होता है, वह उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, इसलिए वह अपनी भाषा को छोड़ना नहीं चाहता। यह तब तक तो ठीक है जब तक कोई व्यक्ति अपने समाज या राज्य तक सीमित है, किंतु यदि इस प्रकार के अनेक भाषा-भाषी व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर साथ आते हैं और उन्हें मिलकर कोई



राष्ट्रहित का कार्य करना है और उन्हें केवल अपनी स्थानीय भाषा ही आती है तो क्या होगा। भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली अनेक सरकारी संस्थाएं जैसे सेना, अर्द्ध-सैनिक बल, रेलवे, बैंक आदि इसके उदाहरण हैं।

अपने बल में भी हम देखते हैं कि सुबह के वंदे मातरम् से लेकर शाय के जन-गण-मन तक, परेड से प्रशिक्षण तक, पैट्रॉलिंग से परिचालन तक, हर स्थान पर हमें एक भाषा अर्थात् हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। हम देखते हैं कि जब प्रशिक्षण केंद्रों में देश के विभिन्न कोनों से भर्ती होकर जवान प्रशिक्षण के लिए आते हैं तो वे कुछ ही दिनों में हिंदी सीख जाते हैं। कुछ जवान मणीपुर से आते हैं, कुछ तमिलनाडु से, कुछ नागालैंड से तो कुछ आंध्रप्रदेश से, कुछ बंगाल से तो कुछ उड़ीसा से। यहां अत्यंत आवश्यक है कि एक ऐसी भाषा हो जो अधिक-से-अधिक लोग जानते हों और ऐसी भाषा हिंदी ही है, क्योंकि बल में अधिकतर लोग हिंदी समझते हैं और हिंदी में ही कार्य करना पसंद करते हैं। यह हम अपने कार्यालयों में और अन्य अवसरों पर भी देखते हैं जब लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वे हिंदी में ही बात करना अधिक पसंद करते हैं और अधिकारीगण भी हिंदी में डिक्टेशन देते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी का विकास और प्रसार कितना अनिवार्य है, क्योंकि यही एक ऐसी भाषा है जो देश को जोड़कर रख सकती है, देश को एक रख सकती है और देश की एकता और अखंडता को मजबूत रख सकती है। यही कारण था कि आज़ादी के समय भी स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी भाषा को ही अपनाया।

सरकार के भरसक प्रयासों और इस भाषा की इतनी अनिवार्यता होने के बावजूद हिंदी सरकारी पत्राचार की भाषा बनने में अनेक बाधाओं का सामना कर रही है। इसमें सबसे बड़ी बाधा लोगों की मानसिकता है। दूसरी बड़ी बाधा है कार्यालयों में पहले से अंग्रेजी में किया

जाने वाला काम। हालांकि यदि इच्छाशक्ति हो तो थोड़ी सी मेहनत करके यह कार्य हिंदी में किया जा सकता है।

राजभाषा नियम-1976 के नियम-12 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान अथवा कार्यालयाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि राजभाषा अधिनियम, नियम एवं अन्य निदेशों का समुचित पालन हो। कार्यालयाध्यक्ष को दी गई यह जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी के प्रति उनके दृष्टिकोण मात्र से ही हिंदी के कार्यान्वयन पर बहुत असर पड़ता है। यदि कार्यालयाध्यक्ष हिंदी बैठकों या अन्य अवसरों पर गंभीरतापूर्वक हिंदी में कार्य करने का आदेश देता है तो उस कार्यालय में हिंदी के प्रयोग की स्थिति तेजी से बदलती है। मैं यहां अपना अनुभव बांटना चाहता हूं। मैं पूर्वोत्तर में एक कार्यालय में तैनात था। हिंदी पखवाड़े के दौरान चलने वाली हिंदी कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर कार्यालयाध्यक्ष स्वयं उपस्थित थे। उस अवसर पर उन्होंने यह आदेश दिया कि हमारे यहां 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में होगा। इस संदेश का इतना त्वरित प्रभाव हुआ कि सभी शाखाओं में पूरा कार्य हिंदी में होने लगा। स्वयं कार्यालयाध्यक्ष ने अंग्रेजी में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज इस अभ्युक्ति के साथ वापिस कर दिए कि इन्हें हिंदी में प्रस्तुत किया जाए। इसका प्रभाव यह रहा कि 'ग' क्षेत्र में होने के बावजूद उस कार्यालय में 90 प्रतिशत तक कार्य हिंदी में होने लगा और उसके लिए हमारे कार्यालय को सेक्टर से प्रथम स्थान के लिए शील्ड भी मिली।

इसलिए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने और इसे और मजबूत बनाने के लिए कार्यालयाध्यक्षों को हिंदी के विस्तार एवं विकास के लिए अपना सहयोग देकर देश-सेवा में अपना योगदान देना चाहिए।

'जयहिंद'



मिश्राइन

— श्री ओम जी शुक्ला
उप कमाण्डेन्ट, 203 कोबरा

“अरे सुनती हो ! मेरा चश्मा कहाँ है ? चीजें ठीक से नहीं रख सकती ... पता नहीं दिन भर घर में क्या करती रहती हो?” इण्टर कालेज से रिटायर मिश्रा जी अपनी धर्मपत्नी की लापरवाही पे बुद्बुदाये जा रहे थे और मिश्राइन रसोई में सुबह का नाश्ता बनाने में व्यस्त थीं। मिश्राइन रसोई से बोली कि देखो फ्रिज के ऊपर रखा होगा, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ।

उस पांच कमरों के बड़े से घर में सिर्फ दो ही जीव रहते हैं मिश्रा जी और मिश्राइन, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, बेटा इन्दौर में एक प्राइवेट कम्पनी में नौकरी करता है और मिश्राइन की बहू को गाँव में रहना पसंद नहीं है। खैर

मिश्रा जी ने चश्मा उठाया और अखबार में आँख गड़ा कर बैठ गए, और वहीं से बैठे बैठे आर्डर दे मारा कि सिर्फ चाय पिलाओगी कि साथ में कुछ खाने को भी दोगी, मैदे के बिस्कुट मैं नहीं खाऊंगा ऐसा करो कि आलू के परांठे बना लो।

हम्म !!!!! मिश्राइन ने हामी भरी और जुट गयीं मिश्रा जी का हुकुम बजाने में।

जैसे-जैसे मिश्रा जी की उम्र ढल रही है मिश्राइन जवान हो रही हैं। मिश्रा जी आर्डर देते हैं और मिश्राइन पूरी शिद्दत से उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं। पूरे घर में झाड़ू-पोछा से लेकर रसोई के बर्तन मांजने तक सब कुछ मिश्राइन करती हैं। एक बाई थी कोई महीना भर हुआ उसे छोड़े हुए। दूसरी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है क्योंकि मिश्रा जी को दूसरी बाई खोजना अपनी शान के खिलाफ लगता है। और वैसे भी झाड़ू पोछा करने में मिश्राइन की एक्सरसाइज ही हो जाती है जो की इस उम्र में मिश्राइन के लिए के लिए बहुत जरूरी है।

58 साल की मिश्राइन ने पूरी ज़िन्दगी दो ज़िंदगियां जी हैं।
— एक में वो घरेलू औरत हैं जो पसेरी पसेरी भर आटा पीसती हैं, बिना किसी सहायता के तीन तीन बच्चे पाले, दिन में 4 बार परिवार के लिए ताजा खाना बनाती थीं, और दूसरी ज़िन्दगी में मिश्राइन हेड मिस्ट्रेस थीं और इस तेजी से बदलते भारत की बदलती तस्वीर का चेहरा थीं। पर मजाल है की उन्हें इस दोहरी ज़िन्दगी का बोझ भारी लगा हो और उन्होंने चूँ तक की हो। आखिर वो एक भारतीय नारी हैं जो कि परिवार और कर्तव्य के नाम पर मर भी जाएँ तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

मई की दोपहरी में मिश्राइन ट्रेनिंग सेंटर से पैदल चली आ रही थीं और जब पूछा कि टेम्पो क्यों नहीं किया तो मुस्कराते हुए बोली कि बेटा एक्सरसाइज हो जाती है और ये टेम्पो वाले भी तो अनाप शनाप किराया वसूलते हैं, लगता है कि दिन में डकैती डालने निकले हों। अब घर जा के आराम ही तो करना है और अगर ‘दो पैसे’ बच गए तो उसमें हर्ज ही क्या है। गर्मी से सुख लाल हुए मिश्राइन के गोरे झुरीदार चेहरे पर ‘दो पैसे’ बचाने की चमक साफ दिख रही थी।

दिन भर की जद्दोहद के बाद मिश्राइन ‘कलर-चौनल’ में ‘बालिका वधु’ देखना नहीं भूलती, इस सीरियल की आदत मिश्राइन को उनकी बिटिया ने लगवाई थी, पर आज कल उनके इस शौक को भी ग्रहण लग गया है। 8.00 से 8.30 के प्राइम टाइम में ‘आस्था चौनल’ पर बाबा रामदेव योग चर्चा करते हैं और मिश्रा जी को सास बहू की नौटंकी से जयादा योग चर्चा सुनना अच्छा लगता है और जब मिश्रा जी टीवी देख रहे हों तो रिमोट कंट्रोल उनकी जागीर होता है।

आज मिश्राइन को 104 डिग्री बुखार है और उन्होंने थोड़ी देर पहले ही तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा पिया है काढ़ा इसलिए की मिश्रा जी को अंग्रेजी दवाइयों में विश्वास नहीं हैं इसीलिए वो मेडिकल स्टोर से टेबलेट लाये ही नहीं हैं। मिश्राइन 6-7 दिनों में ठीक हो जाएँगी और फिर दुबारा सारे अधूरे-छूटे कामों को फिर से अपने मथ्थे ले लेंगी। और पूछने पर कहेंगी कि— “ई हम रहन जो झेल लई गयिन और कौनो हवात तो पिडी बोल जात” अर्थात् यह मैं ही थी जो इसको सहन कर गई यदि मेरी जगह कोई और होता तो ईश्वर जाने उसका क्या हाल होता।

सही कह रही हो मिश्राइन एक ज़िन्दगी में दो ज़िंदगियां जीना वाकई बड़ी बात है। घर के झाड़ू पोछे से लेकर क्लास के लेक्चर तक की ज़िम्मेदारी निभाना कोई तुमसे सीखे

पर तुमसे सीखने का वक़्त किसके पास है? यहाँ तो सब दूसरे की कमियां निकलने में मस्त और व्यस्त हैं। तुम सही कहती हो मिश्राइन कि

ई हम रहन जो झेल लई गयिन और कौनो हवात तो पिडी बोल जात”



‘ सीख ’

– निरी. (हिं. अनु.) कृष्ण कुमार
सीआरपीएफ अकादमी, गुड़गाँव

एक संत अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में निर्माणाधीन मंदिर पर कुछ मजदूर कार्य कर रहे थे। संतजी ने एक मजदूर से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? मजदूर ने उत्तर दिया कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं गधे की तरह मजदूरी कर रहा हूँ। ठेकेदार दम नहीं लेने देता। संत द्वारा यही प्रश्न पास में काम कर रहे दूसरे मजदूर से पूछने पर मजदूर ने कहा कि महाराज! मंदिर बन रहा है, मेरी किस्मत में तो मजदूरी करनी लिखी है, सो कर रहा हूँ। थोड़ी ही दूरी पर एक मजदूर सिर पर तगारी लिए चूना-पत्थर दौड़-दौड़ कर पहुँचा रहा था। संत जी ने वही प्रश्न उस मजदूर से दोहराया। मजदूर ने कहा कि स्वामी जी हमारे धन्य भाग्य हैं जो गाँव में मंदिर बन रहा है और मुझे भी यहाँ किस्मत से काम मिल गया है। भगवान की सेवा भी हो रही है तथा जीवन-बसर भी हो रहा है।

संत जी ने काम के प्रति व्यक्ति की सोच का सबक सिखाने के उद्देश्य से शिष्यों को समझाया कि एक ही काम को एक व्यक्ति मजबूरी में, दूसरा व्यक्ति भाग्य को दोष देता हुआ एवं तीसरा व्यक्ति उसी काम को श्रद्धा एवं उत्साह के साथ खुशी-खुशी कर रहा है। इन मजदूरों की काम करने की सोच से उनकी गुणवत्ता स्वतः पारदर्शित हो जाती है।

इस दृष्टांत को पढ़कर संत जी के शिष्यों की भाँति हमें भी सीख मिलनी चाहिए कि हमें सौंपे गए कार्य को फटिंग समझकर नहीं अपितु पूरी लग्न, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कर्तव्य समझकर करना चाहिए, इसी से हमें असली आनन्द की अनुभूति होगी एवं हमारा मनोबल स्वतः ही बढ़ेगा तथा हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे।

संसार का रीत

उप.निरी. (जीडी) दुर्गेश कुमार
सी.टी.सी, मुदखेड़

एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत सुन्दर तस्वीर बनाई और उसे नगर के चौराहे में लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को, जहाँ भी इस में कमी नजर आये वह वहाँ निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह देख वह बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे वह दुःखी बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा उसने उसके दुःखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना

बताई। उसने कहा एक काम करो कल दूसरी तस्वीर बनाना और उसमें लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहाँ कहीं भी कोई कमी नजर आये उसे सही कर दें। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वह संसार की रीत समझ गया। ‘कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान, लेकिन उन कमियों को दूर करना या समाधान निकालना अत्यंत कठिन होता है।’....

ग्रुप केन्द्र भोपाल ने जीती राजभाषा शील्ड



दिनांक 13/12/2013 को इन्दौर (मध्यप्रदेश) में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, द्वारा वर्ष 2012-2013 के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन एवं हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए “द्वितीय पुरस्कार” की राजभाषा शील्ड श्री अभय छजलानी, पद्मश्री वरिष्ठ पत्रकार एवं श्री अरूण कुमार जैन, सचिव, भारत सरकार के कर कमलों से ग्रहण करते हुए श्री जगजीत सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र, भोपाल (बांए) व नागराज द्विवेदी, निरीक्षक (हिं.अनु.), ग्रुप केन्द्र, भोपाल (दांए)

ग्रुप केन्द्र दुर्गापुर को प्रशस्ति पत्र



श्री पी. के. सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दुर्गापुर स्टील प्लांट, सह अध्यक्ष नराकास दुर्गापुर द्वारा दिनांक 28/11/2013 को ग्रुप केन्द्र, कोरिपुबल, दुर्गापुर के प्रतिनिधि श्री प्रेमजीत कुमार, उप कमाण्डेंट को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए ।

ग्रुप केन्द्र मोकामाघाट ने जीती राजभाषा शील्ड



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेगुसराय (बिहार) द्वारा ग्रुप केन्द्र मोकामाघाट को वर्ष 2013-14 का राजभाषा शील्ड 30 जुलाई, 2014 को प्रदान किया गया ।

75 वां स्थापना दिवस समारोह : कुछ झलकियाँ

27 जुलाई, 1939 को नीमच (मध्य प्रदेश) से खड़ी हुई यह बल आज एक विशाल परिवार का रूप ले चुकी है। 27 जुलाई, 2014 को यह बल अपनी गौरवपूर्ण इतिहास व शानदार यात्रा के 75 साल पूरे कर चुका। बल की इस 'हीरक जयन्ती' के अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली में इस अवसर पर एक 'स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम' का उद्घाटन महानिदेशक महोदय व अध्यक्ष कावा महोदय द्वारा किया गया, जिसके अन्तर्गत बल के अशक्त कार्मिकों को कम्प्यूटर की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसी दिन हिन्दी फिल्मों के क्रमिक विकास को रेखांकित करते हुए एक रंगारंग कार्यक्रम 'ब्लैक एण्ड व्हाइट' भी प्रस्तुत किया गया, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

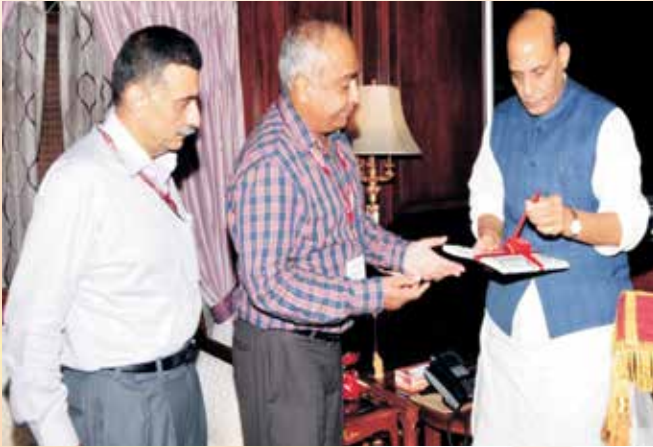


'स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम' अन्तर्गत बल के अशक्त कार्मिकों से वार्तालाप करते महानिदेशक महोदय व अन्य वरिष्ठ अधिकारी (बाएं) व हीरक जयन्ती के अवसर पर केक काटते महानिदेशक महोदय (दाएं)



'रंगारंग कार्यक्रम 'ब्लैक एण्ड व्हाइट' के दृश्य

गृहमंत्री द्वारा 'प्रोटेक्टर' पत्रिका का विमोचन



“सीआरपीएफ प्रोटेक्टर पत्रिका” का माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय एवं श्री आर.के. पचनंदा, अपर महानिदेशक (परिचालन व निर्माण) की उपस्थिति में विमोचन किया

‘सीआरपीएफ हाफ-मैराथन’ – प्रेसवार्ता की झलकियां



‘सीआरपीएफ हाफ-मैराथन’ 12 अक्टुबर, 2014 को दिल्ली सहित देश के 40 शहरों में आयोजित की जाएगी। इसकी घोषणा 12 अगस्त, 2014 को महानिदेशालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता में श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय द्वारा दी गई। उपरोक्त कार्यक्रम में विश्वविख्यात मुक्केबाज सुश्री मेरी कॉम व प्रख्यात क्रिकेटर श्री वीरेन्द्र सहवाग श्रीमती सुनीता त्रिवेदी, अध्यक्ष कावा व बल के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।

ज़ी न्यूज़ के साथ आयोजित 'माई अर्थ-माई ड्यूटी' कैम्पेन



हाल ही में ज़ी न्यूज़ के साथ आयोजित की गई 'माई अर्थ-माई ड्यूटी' कैम्पेन जिसमें केवल दिल्ली में ही एक लाख पौधा रोपण किया व उनकी रख-रखाव का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर पौधारोपण करती हुई श्रीमती सुनीता त्रिवेदी, अध्यक्ष कावा (बायें) एवं ज़ी न्यूज़ से मुख़ातिब श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय (दायें)



इसी अवसर पर स्कूली बच्चों को पर्यावरण का महत्व समझाते डा. ए.पी. माहेश्वरी महानिरीक्षक उत्तरी सेक्टर (बायें) व स्कूली बच्चों द्वारा की गई पेंटिंग (दायें)

सेक्टर आई.ई.डी. सम्मेलन आयोजित



26 जुलाई, 2007 को वसंत कुंज नई दिल्ली स्थित 'शौर्य संस्थान' में सेक्टर आई.ई.डी. सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन एक दृश्य (बायें) आई.ई.डी. में विमोचन करते (दायें)

महानिदेशालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह



महानिदेशालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्रीमती नीतू भट्टाचार्य, पुलिस उप महानिरीक्षक (कल्याण) ने ध्वजारोहण किया

बिहार सेक्टर, के.रि.पु.बल द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन



15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर श्री पी.जे. मोहने, महानिरीक्षक बिहार सेक्टर, श्री संजीव शर्मा, उपमहानिरीक्षक (प्रशा.) बिहार सेक्टर एवं श्री चिरंजीव प्रसाद, उपमहानिरीक्षक पटना रैंज द्वारा राष्ट्रीय झंडे को सलामी देते हुए

ग्रुप केन्द्र जालंधर ने मनाया 20वां स्थापना दिवस



ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल जालंधर के 20वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि श्री चरणजीत सिंह चन्नी, निदेशक, सी.टी.सी. ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशन, जालंधर। इस अवसर पर ग्रुप केन्द्र, जालंधर के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुनील थोपड़ उपस्थित थे।



ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल जालंधर के 20वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मेले का आयोजन।

महानिदेशक महोदय द्वारा 46 बटालियन के मैस का उद्घाटन



विगत दिनों श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक केरिपुबल में 46 बटालियन, मयूर विहार, दिल्ली में दो मैसों का उद्घाटन किया। महानिदेशक महोदय का स्वागत करते हुए डा. ए.पी. माहेश्वरी महानिरीक्षक उत्तरी सेक्टर (बायें) व प्लैटिनम मैस का उद्घाटन करते हुए श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय (दायें)



प्लैटिनम मैस का दृश्य (बायें) व अधीनस्थ अधिकारियों हेतु बने पारगमन (ट्रांसिट) मैस "हीरक" का उद्घाटन करते हुए श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय (दायें)

सेक्टर महानिरीक्षक (परिचालन) सम्मेलन



25 जुलाई 2014 को महानिदेशालय में आयोजित सेक्टर महानिरीक्षक (परिचालन) सम्मेलन की झलकियां

सद्भावना दिवस समारोह आयोजित



महानिदेशालय में आयोजित सद्भावना दिवस समारोह में शपथ दिलाते श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय (बायें) व उपस्थित अधिकारी व कार्मिक (दायें)

प्रशिक्षु अधिकारियों से मिले महानिदेशक



श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय ने सीआरपीएफ अकादमी कादरपुर, गुडगांव में प्रशिक्षण पा रहे सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों से महानिदेशालय में मुलाकात की व उनको सम्बोधित किया

बजट पर सम्मेलन आयोजित



महानिदेशालय में बजट विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सभी सेक्टरों के सहायक कमाण्डेंट (लेखा) ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री एस.सी. पांडा, अवर सचिव गृह मंत्रालय थे। इस अवसर पर डा. संजीव मिश्रा, वित्तीय सलाहकार, केरिपुबल भी मौजूद थे

महानिदेशालय में आयोजित विदाई समारोह विदा हुए अपर महानिदेशक महोदय

25 अगस्त, 2014 को महानिदेशालय में श्री एम.एस. राघव, अपर महानिदेशक दक्षिणी क्षेत्र, श्री संजय अग्रवाल, महानिरीक्षक (कार्मिक) व श्री सी.टी. रवि, वरिष्ठ निजी सहायक का विदाई समारोह आयोजित किया गया जिसमें श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय ने बल में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद व भावी जीवन के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। श्री संजय अग्रवाल, महानिरीक्षक (कार्मिक) अपने गृह काडर, राजस्थान वापस चले गए।



श्री एम.एस. राघव, अपर महानिदेशक दक्षिणी क्षेत्र व श्री संजय अग्रवाल, महानिरीक्षक (कार्मिक) को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय (क्रमशः बायें और दायें)



श्रीमति सुनीता त्रिवेदी, अध्यक्ष, कावा द्वारा श्रीमति एम.एस. राघवा को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए



श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक, के.रि.पु.बल द्वारा श्री सी.टी. रवि, वरिष्ठ पी.एस. को उनके सेवा निवृत्ति के अवसर पर भेंट प्रदान करते हुए



विदा होने वाले
अधिकारियों के साथ
ग्रुप फोटो

महानिदेशक महोदय का ग्रुप केन्द्र रांची का दौरा



ग्रुप केन्द्र क्वार्टर गार्ड पर सलामी लेते महानिदेशक महोदय (बाएं) व परिसर का निरीक्षण करते हुए (दाएं)

श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक, केरिपुबल, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2014 को ग्रुप केन्द्र, राँची का दौरा किया गया। महोदय के साथ श्री जुल्फिकार हसन, महानिरीक्षक (परिचालन), महानिदेशालय एवं श्री आर.के. मिश्रा, महानिरीक्षक, झारखण्ड सेक्टर, भी उपस्थित थे। महानिदेशक महोदय द्वारा क्वार्टर गार्ड एवं कैंप का मुआयना करते हुए कैंप के साज-सज्जा की प्रशंसा की गयी। निर्माणाधीन ईमारतों का भ्रमण किया गया तथा भवन की संरचना को सराहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस ग्रुप केन्द्र में प्राधिकृत ज़मीन से कम ज़मीन होने एवं पहाड़ी भू-भाग होने के बावजूद भी यह ग्रुप केन्द्र

एक सुन्दरतम कैंप के रूप में उभर रहा है। महोदय द्वारा भवन निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करने हेतु सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों को उचित निर्देश दिया। महानिदेशक महोदय को अधीनस्थ अधिकारी मैस, मैस क्लब, परिवार कल्याण केन्द्र, मॉटेसरी स्कूल, ग्रेन गोडाउन एवं बैफल फायरिंग रेंज (जो वर्तमान में निर्माणाधीन है) के कार्य से अवगत कराया गया। महोदय ने कैंप की साज-सज्जा देखने के बाद कहा कि कैंप बहुत ही मोहक स्थान एवं पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है तथा इसका बहुत अच्छी तरह रख-रखाव किया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर यह कैंप भविष्य में बहुत मनोहारी एवं सुन्दर कैंप होगा।

मुख्य सचिव, झारखण्ड ने किया ग्रुप केन्द्र, राँची में मेले का उद्घाटन

27 जुलाको ग्रुप केन्द्र राँची में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की हीरक जयंती बड़े ही धूम-धाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तथा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री सजल चक्रवर्ती, मुख्य सचिव झारखण्ड

सरकार थे जिनके द्वारा क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गयी, केरिपुबल मेला का उद्घाटन किया गया एवं ग्रुप केन्द्र, राँची द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका "प्रतिबिम्ब" का अनावरण किया गया।



श्री सजल चक्रवर्ती, मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार का अभिवादन करती श्रीमती उषा किरण कण्डूलना, पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप केन्द्र राँची (बाएँ) व पत्रिका 'प्रतिबिम्ब' का विमोचन करते श्री चक्रवर्ती (दाएँ)

समारोह को संबोधित करते हुए श्री चक्रवर्ती ने कहा कि " देश की आंतरिक सुरक्षा में केरिपुबल का योगदान सराहनीय है । नक्सलवाद एवं आतंकवाद को समाप्त करने में इस बल के जवान निरंतर प्रयत्नशील हैं । यह बल देश की रीढ़ है । केरिपुबल के जवान आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं । इनके परिवार की जिम्मेवारी हम को लेनी चाहिए । केरिपुबल सामाजिक सरोकार एवं मानवता के प्रति भी उतना ही प्रतिबद्ध है ।" उन्होंने गुप केन्द्र, राँची को इस क्षेत्र के लिए उपहार बताया ।

इस समारोह के अवसर पर श्री के. के. पाण्डेय, कमाण्डेन्ट ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि केरिपुबल का गठन 1939 में " क्राउन रिप्रजेंटेटिव पुलिस " के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ था, को विश्व के सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल के रूप में शुमार है तथा इसका इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है । 21 अक्टूबर 1959 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 बहादुर जवानों लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में अपने प्राणों की आहुति देकर चीन के आक्रमण से भारत माँ की रक्षा की थी तथा उनकी याद में हर वर्ष 21 अक्टूबर पूरे भारतवर्ष में पुलिस बल " पुलिस संस्मरण दिवस " के रूप में मनाते हैं । दिनांक 09 अप्रैल 1965 में द्वितीय वाहिनी के.रि.पु.बल के बहादुर जवानों

ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सरदार एवं टॉक चौकियों पर पाकिस्तानी सेना के इन्फैन्ट्री ब्रिगेड के आक्रमण का दृढ़तापूर्वक विरोध किया, वीरतापूर्वक युद्ध किया तथा आक्रमण को निष्फल कर दिया । केरिपुबल के नायकों के वीरतापूर्ण कार्यों की याद ताजा रखने तथा इस उदाहरण का अनुकरण करने के लिए प्रतिवर्ष 09 अप्रैल को " शौर्य दिवस " के रूप में मनाया जाता है । चाहे संसद भवन पर आतंकवादियों का हमला हो या अक्षरधाम, गुजरात एवं राम जन्मभूमि, अयोध्या पर आतंकवादियों का हमला हो, केरिपुबल के जवानों ने अपने जान की परवाह न करते हुए उनके नापाक मंसूबों को नेस्तोनाबूद किया है तथा भारत माँ की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने से भी नहीं चुके हैं ।

इस अवसर पर श्रीमती उषा किरण कण्डूलना, पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को शॉल एवं स्मृति चिह्न भेंट की गयी ।

इस अवसर पर गुप केन्द्र द्वारा आयोजित केरिपुबल मेला में जवानों एवं उनके परिजनों का उत्साह देखने लायक था । इसमें सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया । मेला को मनोरंजक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया तथा इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया ।



27 जुलाई, 2014 को के.रि.पु.बल की हीरक जयन्ती के अवसर पर बल के अशक्त कार्मिकों के लिए 'स्किल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम' का औपचारिक रुप से उद्घाटन करते श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय व श्रीमती सुनीता त्रिवेदी, अध्यक्षा, कावा



श्री एम.एस. राघव, अपर महानिदेशक, दक्षिणी क्षेत्र की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके जीवन के महत्वपूर्ण पलों के चित्रों का संग्रह उन्हें भेंट करते श्री दिलीप त्रिवेदी, महानिदेशक महोदय



स्वतंत्रता दिवस-2014 के शौर्य पदक विजेताओं के साथ के.रि.पु.बल के महानिदेशक एवं बल के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण